



वार्षिक रिपोर्ट

2018-19



कर्मचारी चयन आयोग

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

विषय सूची

सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	मुख्य सार	1-3
I.	आयोग द्वारा उठाए गए कदम	4-9
II.	कर्मचारी चयन आयोग के कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा	10-15
III.	वर्ष 2018 -19 का सिंहावलोकन	16-23
IV.	वर्ष 2018 -19 के दौरान आयोजित परीक्षाएं और किए गए चयन	24-30
V.	चयन पदों पर भर्ती	31-32
VI.	परीक्षा केन्द्र	33-38
VII.	आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों का प्रदर्शन	39-40
VIII.	आयोग की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां	41-42
IX.	सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	43-44

परिशिष्ट

क.	कर्मचारी चयन आयोग का गठन करने वाले संकल्प का मूलपाठ और संशोधन	46-63
ख.	कर्मचारी चयन आयोग का संगठनात्मक चार्ट, अध्यक्ष / सदस्यों और वर्तमान क्षेत्रीय निदेशकों/उप-निदेशकों की सूची	64-67
ग.	विभिन्न पदों के नाम/वेतन-स्तर/संख्या	68-72
घ.	क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय और उनके कार्य-क्षेत्र	73-74
ड.	समूह 'ख' एवं 'ग' चयन पदों की भर्ती का ब्यौरा	75

मुख्य सार

1. कर्मचारी चयन आयोग, जिसे आयोग कहा गया है, भारत सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेन्सियों में से एक है। आयोग को उन पदों को छोड़कर, जो विशेषतः आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने का कार्य अधिदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग को वर्ष 2016 से भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के लिए सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी के समूह 'ख'(राजपत्रित) पदों की भर्ती करने का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
2. कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका प्रयागराज, बेंगलूरु, चेन्नै, गुवाहाटी, कोलकाता, मुम्बई, नई दिल्ली में स्थित सात क्षेत्रीय कार्यालयों और चंडीगढ़ तथा रायपुर में स्थित दो उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी चयन आयोग की नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करते हैं जिसमें संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र की सहायता से देश में विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षाएं आयोजित कराना शामिल है।
3. (क). आयोग 7 अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है ; अर्थात्
 - i) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा,
 - ii) संयुक्त उच्चतर माध्यमिक(10+2) स्तरीय परीक्षा,
 - iii) कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रा सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा,
 - iv) दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप-निरीक्षक परीक्षा,
 - v) कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा
 - vi) मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, और
 - vii) आशुलिपिक ग्रेड 'सी' एवं 'डी' परीक्षा।

(ख). इसके अतिरिक्त, आयोग निम्नलिखित पदोन्नति के लिए तीन सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है :

 - i) मल्टी टास्किंग स्टाफ(एम.टी.एस.) से अवर श्रेणी लिपिक(एल.डी.सी.) ग्रेड,
 - ii) अवर श्रेणी लिपिक(एल.डी.सी.) से उच्च श्रेणी लिपिक(यू.डी.सी.) ग्रेड, और
 - iii) आशुलिपिक ग्रेड 'डी' से आशुलिपिक ग्रेड 'सी'।

(ग). आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) चयन पदों, जो कि एकाकी पद हैं (अखिल भारतीय

खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं) के लिए भी भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है। इन पदों को पहले केवल साक्षात्कारों के माध्यम से भरा जाता था। चूंकि दिनांक 01.01.2016 से भारत सरकार द्वारा निम्न स्तर के पदों के लिए साक्षात्कारों को समाप्त कर दिया गया है, अतः उक्त पदों को अब कंप्यूटर आधारित पद्धति में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्नों के प्रारूप में आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से भरा जा रहा है।

(घ). उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयोग भारत सरकार के विशिष्ट निदेशों के अनुपालन में गैर अधिदेशित परीक्षाएं भी आयोजित करता है। वर्ष 2018 -19 में आयोग द्वारा निम्नलिखित गैर-अधिदेशित परीक्षाएं आयोजित की गई :-

- (i) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा, 2018.

आयोग द्वारा ये परीक्षाएं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अनुसार आयोजित की गई थी।

(ङ). आयोग सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके स्थायीकरण/ वेतन वृद्धि को जारी करने अथवा किसी अन्य विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन से वार्षिक कौशल परीक्षा का आयोजन करता है।

4. परीक्षाओं के निर्बाध आयोजन तथा योग्यता आधारित चयन के उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा जहां कहीं आवश्यक हो परीक्षा कार्यविधियों और पद्धतियों की निरन्तर समीक्षाएं की जाती हैं। परीक्षा प्रक्रिया में अधिकतम कार्य-कुशलता और विश्वसनीयता लाने के लिए नए कदम भी उठाए गए हैं। हाल के वर्षों में अर्थात् जून, 2016 से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहु विकल्पीय परीक्षाओं के आयोजन के लिए ओ.एम.आर. आधारित परीक्षा पद्धति के स्थान पर कम्प्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति को तेजी और व्यापक रूप से आरम्भ करना है। चयन पदों के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं को भी जिन्हें पहले साक्षात्कारों के माध्यम से भरा जाता था, अब इन परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित पद्धति में आयोजित किया जाता है।
5. परीक्षा से जुड़े मुख्य कार्यकलापों जैसे आवेदनों की प्राप्ति, प्रवेश पत्रों को जारी करना और परिणामों की घोषणा को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा, आयोग द्वारा रिक्तियों का ऑनलाइन संग्रहण भी अनिवार्य कर दिया गया है।
6. आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान दस अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं(चरणों में आयोजित) का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के अलग-अलग चरणों

- के लिए कुल 70,87,490/- अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया। इसमें अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 66,50,348 अभ्यर्थी, चयन पद परीक्षाओं के लिए 4,37,142 अभ्यर्थी शामिल हैं।
7. वर्ष 2018 -19 के दौरान, आयोग ने देश भर में 127 परीक्षा केन्द्रों (अर्थात शहरों) में स्थित 309 परीक्षा स्थलों में 52,36,810 अभ्यर्थियों के लिए अपनी सबसे बड़ी परीक्षा अर्थात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल(सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन(सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा, 2018 आयोजित की।
 8. वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग द्वारा अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 16,160 अभ्यर्थियों की तथा चयन पदों के लिए 569 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई।
 9. आयोग द्वारा अपनी परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के ठोस प्रयास किए गए। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 1,29,28,804 अभ्यर्थियों, जिन्होंने आयोग के विभिन्न अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था, में से 32,75,779 महिला अभ्यर्थी थे। प्रतिशतता की दृष्टि से महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी 25.34 प्रतिशत थी।
 10. आयोग सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को यथोचित महत्व देता है और सुनिश्चित करता है कि अ.जा. /अ.ज.जा./अ.पि.व. अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को पूरी तरह से भरा गया है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से 1804 अ.जा. अभ्यर्थी, 1237 अ.ज.जा. अभ्यर्थी और 6994 अ.पि.व. अभ्यर्थी अर्थात कुल मिलाकर 10,035 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए थे। इसी प्रकार 569 चयन पदों में से 98 अ.जा. अभ्यर्थी, 37 अ.ज.जा. अभ्यर्थी और 193 अ.पि.व. अभ्यर्थी अर्थात कुल मिलाकर 328 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए।
 11. आयोग दिव्यांग अभ्यर्थियों (दिव्यांगजन) को परीक्षा स्थल पर सरल, सुरक्षित और परेशानी मुक्त पहुंच उपलब्ध कराने के सघन प्रयास करता है। आयोग पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक, अनुच्छेद वाचक और प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय मुहैया कराने की सुविधा भी देता है। इसके अलावा, दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों को आकृतियों और आरेखों वाले प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं।
 12. वर्ष 2018-19 के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों का कार्यान्वयन आयोग का एक सतत प्राथमिकता क्षेत्र रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए।

अध्याय-I

आयोग द्वारा उठाए गए कदम

1.1 आयोग की कार्यात्मक दक्षता में वृद्धि लाने और योग्यता आधारित चयन को सुगम बनाने के लिए, आयोग द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं -

क. आवेदनों की प्राप्ति, रिक्ति संग्रहण, परिणामों की घोषणा तथा संबंधित गतिविधियों के लिए ऑनलाइन प्रणाली।

1.2 पूर्ण डिजिटलीकरण को प्राप्त करने के लिए एक पहल के रूप में, आयोग द्वारा वर्ष 2010 से, चरणबद्ध रूप में ऑनलाइन आवेदन प्रणाली प्रारंभ की गई। इस समय आयोग अपनी सभी परीक्षाओं के लिए आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त करता है।

1.3 आयोग विभिन्न परीक्षाओं की विज्ञप्तियों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है।

1.4 भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से रिक्तियों का ऑनलाइन संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है।

1.5 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्रों को आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर अपलोड किया जाता है।

1.6 इसी तरह, कंप्यूटर आधारित पद्धति में लिखित परीक्षा के आयोजन के बाद अनंतिम उत्तर कुंजियों के बारे में आपत्तियां ऑनलाइन आमंत्रित की जाती हैं। इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजियों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

1.7 मध्यवर्ती स्तरों/चरणों के परिणामों सहित सभी परीक्षाओं के परिणामों को आयोग की वेबसाइट पर घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, दस्तावेज सत्यापन और कौशल परीक्षा से संबंधित सूचनाओं को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

1.8 अभ्यर्थियों के जवाब, अंतिम उत्तर कुंजियाँ और अभ्यर्थियों के कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रासांक भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। अभ्यर्थी अपने उत्तर पत्रों और अंको को अपने विशिष्ट प्रत्यायक की सहायता से लॉग इन करके भी व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं।

1.9 आयोग की विभिन्न परीक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए ऑनलाइन रीति को व्यापक रूप से अपनाने के कारण परीक्षा प्रक्रिया में प्रणालीगत सुधार आए हैं, उदाहरणतः परीक्षाओं के आयोजन में, लगन एवं दक्षता के उच्च स्तरों को प्राप्त करना इत्यादि।

1.10 इसके अतिरिक्त, कम समय में आवश्यक होने पर अभ्यर्थियों के साथ ई-मेल/एस.एम.एस इत्यादि के माध्यम से भी सम्प्रेषण किया जाता है।

ख. परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति की शुरुआत

1.11 मई, 2016 तक, आयोग की सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षाएं ऑप्टिकल मॉर्क्स रीडर (ओ.एम.आर.) आधारित पद्धति में आयोजित की जाती थी। इसके पश्चात् जून, 2016 में, सरकार से पूर्व- अनुमोदन प्राप्त करके, एक बड़ी पहल के रूप में, आयोग ने अपनी वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति (सी.बी.एम) को आरम्भ किया। आयोग द्वारा जून, 2016 में कम्प्यूटर आधारित पद्धति(सी.बी.एम.) में आयोजित पहली परीक्षा दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक तथा के.ओ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक पुनःपरीक्षा, 2016 थी। इसके पश्चात्, आयोग द्वारा कम्प्यूटर आधारित पद्धति में तेजी से और व्यापक परिवर्तन किए गए, जिसके द्वारा आयोग की सभी मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहु-विकल्पीय परीक्षाएं अब कम्प्यूटर आधारित पद्धति में आयोजित की जा रही हैं।

1.12 वर्ष 2018-19 के दौरान, आयोग द्वारा 10 (दस) परीक्षाएं आयोजित की गईं, जिनका ब्यौरा नीचे सारणी-1.1 में दिया गया है :-

सारणी- 1.1

क्रम संख्या	परीक्षा का नाम	परीक्षा की तिथि
1.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा (पेपर-II), 2017	29.04.2018
2.	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-III), 2017	08.07.2018
3.	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक(10+2) स्तरीय परीक्षा (टियर-II), 2017	15.07.2018
4.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा, 2018 (पेपर-I)	13.01.2019
5.	चयन पद (चरण-VI) परीक्षा, 2018 (माध्यमिक स्तर)	16.01.2019 से 18.01.2019 तक
6.	चयन पद (चरण-VI) परीक्षा, 2018 (उच्च माध्यमिक स्तर)	17.01.2019 से 18.01.2019 तक
7.	चयन पद (चरण-VI) परीक्षा, 2018 (स्नातक स्तर)	17.01.2019 से 18.01.2019 तक
8.	आशुलिपिक ग्रेड 'सी' और 'डी' परीक्षा, 2018 (पेपर-I)	05.02.2019 से 08.02.2019 तक
9.	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल(सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन(सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा, 2018.	11.02.2019 से 11.03.2019 तक
10.	दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक तथा के.ओ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2018 (पेपर-I)	12.03.2019 से 16.03.2019 तक

1.13 कम्प्यूटर आधारित पद्धति में परीक्षाओं का आयोजन करने के कार्यनीतिक लाभ हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- i) परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति अधिक उपयोगी है तथा इसमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध होने के कारण यह तरीका अधिक विश्वसनीय, सक्षम और सुदृढ़ है।
- ii) मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम होता है, जिससे परीक्षा में नकल होने की सम्भावनाएं कम हो जाती हैं।
- iii) प्रश्न पत्र प्रबंधन और संचालन में बृहत्तर लचीलापन और उच्चतर गोपनीयता होती है।
- iv) इसमें परिणामों में और अधिक परिशुद्धता होती है तथा इन्हें तेजी से तैयार किया जाता है।
- v) यह तरीका रिपोर्टों को तैयार करने में बेहतर डाटा प्रबंधन और विश्लेषण करने में भी सहायता प्रदान करता है।

1.14 आयोग ने परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अभ्यर्थियों, विशेषतः सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान करने के भी अनेक उपाय किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

- i) ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रारूप / कार्य पद्धति का सरलीकरण।
- ii) परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति के आयोजन में शामिल प्रमुख प्रक्रियाओं के बारे में अभ्यर्थियों को विस्तार पूर्वक शिक्षित करने के लिए आयोग तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर 'एनिमेटेड वॉक थ्रू मॉड्यूल' को उपलब्ध कराना।
- iii) डाक द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के बारे में अभ्यर्थियों, विशेषतः सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में रहे अभ्यर्थियों के मामले में किसी प्रकार की शिकायतों से बचने के लिए, अभ्यर्थियों के लाभ हेतु परीक्षाओं के प्रवेश प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन अपलोड करना क्योंकि डाक द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्रों को पहुंचाने में बहुत अधिक समय लग जाता है।
- iv) महानगरों/राजधानियों के अलावा अन्य शहरों/नगरों/स्थानों स्थित परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा का आयोजन करना ताकि स्थानीय अभ्यर्थियों को इन परीक्षा स्थलों/केन्द्रों तक पहुंचने में कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े।
- v) परीक्षा केन्द्रों का आबंटन करते समय, आयोग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है कि महिला तथा दिव्यांग(पी.डब्ल्यू.डी.) अभ्यर्थियों को कम से कम असुविधा हो।

ग. एक बारगी पंजीकरण

1.15 हाल ही के दिनों में अभ्यर्थियों का एक-बारगी पंजीकरण का प्रारंभ, आयोग द्वारा उठाया गया एक मुख्य कदम है। इस व्यवस्था के अधीन अभ्यर्थियों को केवल एक बार आयोग की वेबसाइट पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें "यूजर आई डी" और "पासवर्ड" जारी किए जाते हैं, जिसका वे आयोग

द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में उपयोग करते हैं। एक-बारगी पंजीकरण से अभ्यर्थियों का स्थायी डाटा बेस सृजित हो जाता है, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा नए आवेदनों को भरते समय मूल सूचना स्वतः प्रदर्शित हो जाती है। अभ्यर्थी समय-समय पर अपने प्रोफाइल को अद्यतन करने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इस व्यवस्था के कुछ विशिष्ट लाभ हैं। यह अभ्यर्थियों को एक अनन्य पहचान मुहैया कराती है और अनेक पंजीकरण संख्याएं सृजित होने से रोकती है और विवर्जित अभ्यर्थियों को आवेदन करने से रोकती है।

1.16 अनिवार्य एक-बारगी पंजीकरण करते समय सभी अभ्यर्थियों की ई-मेल तथा दूरभाष संख्या को पंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक परिस्थितियों में, परीक्षाओं से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं को ई-मेल और एस एम एस के माध्यम से अभ्यर्थियों की पंजीकृत ई-मेल आई डीजी / मोबाईल नम्बरों पर इसे सम्प्रेषित किया जाता है।

घ. डिजिटल फिंगर-प्रिंट संग्रहण

1.17 आयोग कंप्यूटर आधारित पद्धति के दौरान परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के फिंगर-प्रिंट भी लेता है। इस प्रकार लिए गए फिंगर-प्रिंट से आयोग को छद्मवेषण के मामले, यदि कोई हैं, की पहचान करने में सहायता मिलती है। इस फिंगर-प्रिंट डाटा बेस को नियुक्ति के समय अभ्यर्थियों के सत्यापन को सुविधाजनक बनाने हेतु, आयोग द्वारा प्रयोक्ता विभागों के साथ उनके अनुरोध पर साझा किया जा सकता है।

ङ. आवेदन के साथ दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने से छुटकारा

1.18 चयन पदों को छोड़कर किसी अन्य पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को किसी भी दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों से दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संग्रहित की जाती हैं।

1.19 चयन पदों के मामले में, आयोग के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद संवीक्षा के समय दस्तावेजों को संग्रहित तथा वास्तविक रूप से सत्यापित किया जाता है।

च. आशुलिपि परीक्षा के लिए वायस रिकार्डेड श्रुतलेखन

1.20 आशुलिपिक ग्रेड 'सी' एवं 'डी' परीक्षा के लिए कौशल परीक्षाओं के क्रियान्वयन में एकरूपता लाने हेतु एक पहल के रूप में, आयोग ने ऑडियो रिकार्ड किए गए अनुच्छेद का प्रयोग करना शुरू किया है। कौशल परीक्षाओं के लिए श्रुतलेखन अनुच्छेदों को अत्याधुनिक ऑडियो प्रयोगशालाओं में रिकॉर्ड किया जाता है। आयोग द्वारा की गई इस पहल से कौशल परीक्षाओं के आयोजन में गुणवत्तात्मक सुधार हुआ है।

छ. दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं (दिव्यांगजन)

1.21 आयोग, दृष्टि दिव्यांग, गति विषय दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात(सी पी) मानदण्ड दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन आवेदन के समय मांगने पर, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/ परीक्षा की कंप्यूटर आधारित पद्धति के लिए प्रलिपिक की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, शेष

मानदण्ड दिव्यांगता श्रेणियों के लिए (जैसा कि डीओपीटी पत्र सं.36035/02/2017-स्था.(रेस) दिनांक 15 जनवरी, 2018 में विहित), अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाईन आवेदन के समय मांगने पर, सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ असैन्य शल्यचिकित्सक/ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोफॉर्मा में जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र जिसमें ऐसी शारीरिक कमी और उनके तरफ से परीक्षा में लिखने के लिए प्रालिपिक की जरूरत का उल्लेख किया गया हो, परीक्षा के समय प्रस्तुत करने पर ऐसे अभ्यर्थियों को प्रतिघंटा 20 मिनट के अतिरिक्त समय की सुविधा भी प्रदान करता है। दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि) अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के दौरान पाठ वाचक की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

1.22 आयोग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों को संख्यात्मक अभिरूचि और सामान्य बुद्धिमत्ता के प्रश्नों के पृथक सेट दिए गए हैं, जिसमें मानचित्र, ग्राफ, सांख्यिकीय डाटा, आरेख इत्यादि के घटक नहीं हैं।

1.23 आयोग दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर सरल, सुरक्षित और परेशानी मुक्त पहुंच उपलब्ध कराने के सघन प्रयास करता है। इसे सुनिश्चित करने हेतु, दिव्यांगजनों को ऐसे परीक्षा केन्द्र आबंटित किए जाते हैं जहां एलिवेटर/लिफ्ट और रैंप आदि जैसी प्रयोक्ता अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सहायता लेते हैं, उन्हें अलग तारीख पर विशिष्ट परीक्षा स्थल मुहैया कराया जाता है।

ज. बायोमिट्रिक पंजीकरण

1.24 आयोग की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रभावी जांच करने के लिए बायोमिट्रिक पंजीकरण प्रणाली शुरू की गयी है, जो परीक्षा के आरंभ होने से तत्काल पूर्व अभ्यर्थियों के फिंगर-प्रिंट और फोटो लेती है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था बायोमिट्रिक पंजीकरण के आधार पर यादृच्छिक रूप से की जाती है। बायोमिट्रिक पंजीकरण के चरण में लिया गया डाटा तदनंतर परीक्षा के विभिन्न स्तरों में बैठने वाले अभ्यर्थियों की पहचान को सत्यापित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

झ. सी सी टी वी कैमरा कवरेज

1.25 परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों पर नजर रखने के लिए, कंप्यूटर आधारित पद्धति में परीक्षा के आयोजन से संबंधित समस्त कार्य-कलापों को सी.सी.टी.वी. कैमरा द्वारा गहनता से मॉनीटर किया जाता है। आयोग मुख्यालय तथा आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में संवेदनशील परीक्षा सामग्री के रख-रखाव की निगरानी करने के लिए भी सी सी टी वी कैमरे लगाए गए हैं।

ज. परिणामों को तैयार करने में पारदर्शिता

1.26 परीक्षाओं के आयोजन में आयोग की पारदर्शिता की नीति को ध्यान में रखते हुए, सभी परीक्षाओं की अनंतिम उत्तर कुंजियों को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की कार्यप्रणाली वर्ष 2018-19 के दौरान भी जारी रही, जिससे अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र/ अनंतिम उत्तर कुंजियों में विसंगतियां, यदि कोई हैं, के विरुद्ध

अभ्यावेदन/आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता है। आपत्तियां प्राप्त होने के बाद, अंतिम उत्तर कुंजियों को तैयार करने से पूर्व आयोग द्वारा विशेषज्ञों के पैनल के माध्यम से यथोचित सावधानी बरती जाती है। इसके पश्चात अंतिम उत्तर कुंजियों के आधार पर परिणाम की घोषणा की जाती है। इन अंतिम उत्तर कुंजियों को आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है, जिससे अभ्यर्थी परीक्षाओं में अपने कार्य-निष्पादन का आकलन करने में समर्थ हो पाते हैं। आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को भी अभ्यर्थियों के सूचनार्थ वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

ट. क्षेत्रीय निदेशकों / उप-निदेशकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग

1.27 आयोग ने क्षेत्रीय निदेशकों/उप निदेशकों के साथ प्रभावी यथार्थ वार्तालाप हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा आरंभ की है। इस व्यवस्था से क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों और आयोग मुख्यालय में सूचना के उपयोगी और सार्थक आदान-प्रदान करने में योगदान मिला है। इससे आयोग में निर्णय लेने की प्रक्रिया कारगर और गतिशील भी बनी है।

ठ. नया लोगो

1.28 वर्ष 2018-19 के दौरान कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले लोगो को बदल कर नया लोगो अपना लिया है।

ड. नई वेबसाइट

1.29 कर्मचारी चयन आयोग ने 'ऑनलाईन आवेदन व्यवस्था' के बेहतर प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2018-19 के दौरान नवीनतम खूबियों के साथ अपनी नई वेबसाइट शुरू की है। 'ऑनलाईन आवेदन व्यवस्था' में साईन-ईन करने के लिए प्रयोगकर्ता नाम बदल दिया गया है। तदनुसार, 'ऑनलाईन आवेदन व्यवस्था' में अभ्यर्थियों को अब लॉग-इन करने के लिए प्रयोगकर्ता नाम में ई-मेल आईडी की जगह अपनी 'पंजीकरण संख्या' का उपयोग करना पड़ता है। यह परिवर्तन 5 मार्च, 2019 से लागू हुआ है। तथापि, वर्तमान वेबसाइट भी कुछ और समय तक नए वेबसाइट में दिए गए लिंक के द्वारा उपलब्ध रहेगी।

ढ. क्षेत्रीय निदेशक सम्मेलन

1.30 आयोग ने वर्ष 2018-19 के दौरान, विभिन्न नीतिगत मामलों और परीक्षा से संबन्धित मामलों पर चर्चा करने के लिए आयोग मुख्यालय में दो दिवसीय क्षेत्रीय निदेशक सम्मेलन का आयोजन किया था।

ण. क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रशासनिक निरीक्षण

1.31 आयोग ने वर्ष 2018-19 के दौरान क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रशासनिक निरीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू की है। तदनुसार, आयोग मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमोत्तर क्षेत्र का प्रशासनिक निरीक्षण कराया गया। इन निरीक्षणों के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के सुधारात्मक उपायों लिए उपर्युक्त दिशानिर्देश और निदेश भी जारी किए गए।

अध्याय-II

कर्मचारी चयन आयोग के कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

क. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.1 संविधान के अनुच्छेद 320 में केन्द्र सरकार के सभी पदों एवं सेवाओं पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का संचालन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कराए जाने का प्रावधान किया गया है। संसद की प्राक्कलन समिति ने अपनी 47वीं रिपोर्ट (1967-68) में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही निम्नतर श्रेणी के पदों की भर्ती हेतु परीक्षाएं कराने के लिए सेवा चयन आयोग गठित किए जाने की सिफारिश की। इसके अनुसरण तथा अंतरिम उपाय के रूप में भारत सरकार के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान के साथ एक परीक्षा स्कंध जोड़ा गया।

2.2 प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (प्र.सु.आ.) ने भी कार्मिक प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि केन्द्र और राज्यों में अधिकतर सरकारी स्टाफ की संख्या श्रेणी-III और श्रेणी-IV से संबंधित है। विभिन्न कार्यालयों में ऐसे पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताओं की एकरूपता का उल्लेख करते हुए प्र.सु.आयोग ने विभिन्न विभागों द्वारा गैर तकनीकी पदों की अपेक्षाओं हेतु पूल बनाए जाने और कार्मिकों का चयन संयुक्त भर्ती या बोर्ड के माध्यम से कराए जाने की वकालत की। इस सिफारिश पर भलीभांति विचार करने के पश्चात, भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1/(एस)/74-स्था.(बी) (परिशिष्ट-क) के तहत अधीनस्थ सेवा आयोग गठित करने का निर्णय किया।

2.3 भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह 'ग') के गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग को बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग (क.च.आ.) के रूप में पुनः गठित किया गया। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है। मई, 1999 से इस आयोग को समूह 'ख' (अराजपत्रित) के ऐसे सभी पदों की भर्ती का कामकाज भी सौंपा गया, जिनका अधिकतम वेतनमान 9300-34800 रुपए (ग्रेड वेतन 4600 रु.) (सातवें वेतन आयोग के अनुसार अब स्तर-7) से कम था। इन समूह 'ख' पदों की भर्ती पहले संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती थी। नवम्बर, 2003 से केन्द्र सरकार द्वारा आयोग को ऐसे सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती करने के लिए भी प्राधिकृत कर दिया गया जिनके वेतनमान 9300-34800 रुपए (ग्रेड वेतन 4600 रु.) (सातवें वेतन आयोग के अनुसार अब स्तर-7) हैं।

2.4 दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं.39018/1/98-स्था.(ख) और इसके आनुक्रमिक संशोधन दिनांक 13.11.2003, 29.9.2005, 14 जनवरी, 2011, 24 जुलाई, 2012 और 17 फरवरी, 2016 के संकल्प सं. 24012/8-क/2003-स्था. (ख) के तहत परिभाषित कर्मचारी चयन आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं :-

- भारत सरकार और उनके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, सिवाय उन पदों के जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हैं, 4800/- रु.

- (सातवें वेतन आयोग के अनुसार अब स्तर-8) तक के ग्रेड वेतन वाले वेतन बैंड-2 और वेतन बैंड-1 में समूह ख (अराजपत्रित) पदों और समूह ग (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करना।
- ii. 4800/-रु. (सातवें वेतन आयोग के अनुसार अब स्तर-8) तक ग्रेड वेतन वाले वेतन बैंड-2 और वेतन बैंड-1 में साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत उन पदों पर भर्ती करना, जिन पर आयोग के विवेकाधिकार से पहले शार्टलिस्टिंग या कौशल परीक्षा आयोजित की जा सकती है।
 - iii. केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा(सी.एस.सी.एस.) / केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा (सी.एस.एस.एस.) तथा इस प्रकार की अन्य सेवाओं की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना, जो आयोग को सौंपे गए हैं अथवा आयोग को सौंपे जा सकते हैं।
 - iv. अंग्रेजी/हिन्दी में कौशल परीक्षाओं का आवधिक आयोजन करना तथा इस प्रकार की अन्य कौशल परीक्षाओं का आयोजन करना जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।
 - v. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लिए सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के समूह 'ख' (राजपत्रित) पदों की भर्ती करना।
 - vi. केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए इस प्रकार के अन्य कार्य करना।

2.5 कर्मचारी चयन आयोग, भारत सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेन्सियों में से एक है। उन पदों को छोड़कर, जो विशेषतः आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, आयोग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने का कार्य अधिदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग को वर्ष 2016 में भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के लिए सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी के समूह 'ख'(राजपत्रित) पदों की भर्ती करने का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

2.6 आयोग को सात अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का अधिदेश दिया गया है, अर्थात्

- i) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा,
- ii) संयुक्त उच्चतर माध्यमिक(10+2) स्तरीय परीक्षा,
- iii) कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रा सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा,
- iv) दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप-निरीक्षक परीक्षा,
- v) कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा;
- (vi) मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, और
- (vii) आशुलिपिक ग्रेड 'सी' एवं 'डी' परीक्षा

2.7 इसके अतिरिक्त, आयोग निम्नलिखित पदों से प्रोन्नति हेतु तीन सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित करता है:

- (i) मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) से अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी) ग्रेड,
- (ii) अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी) ग्रेड से उच्च श्रेणी लिपिक (यूडीसी) ग्रेड और
- (iii) आशुलिपिक ग्रेड 'डी' से आशुलिपिक ग्रेड 'सी'

2.8 आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) चयन पदों, जो कि एकाकी पद हैं (अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं) के लिए भी भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है। इन पदों को पहले केवल साक्षात्कारों के माध्यम से भरा जाता था। क्योंकि दिनांक 01.01.2016 से भारत सरकार द्वारा निम्न स्तर के पदों के लिए साक्षात्कारों को समाप्त कर दिया गया है अतः उक्त पदों को अब कंप्यूटर आधारित पद्धति में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्नों के प्रारूप में आयोजित लिखित परीक्षाओं के माध्यम से भरा जा रहा है।

2.9 उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयोग भारत सरकार के विशिष्ट निदेशों के अनुपालन में गैर अधिदेशित परीक्षाएं भी आयोजित करता है। वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित गैर-अधिदेशित परीक्षाएं आयोजित की गईं :-

- (i) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा, 2018.

आयोग द्वारा यह परीक्षा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अनुसार आयोजित की गई थी।

2.10 वार्षिक कौशल परीक्षाएं

आयोग सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके स्थायीकरण/ वेतन वृद्धि को जारी करने अथवा किसी अन्य विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन से वार्षिक कौशल परीक्षा का आयोजन करता है। अवर श्रेणी लिपिक(एल डी सी) के पद पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के अंतर्गत नहीं आते हैं चाहे यह पदोन्नति द्वारा हुई हो अथवा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा हुई हो अथवा अन्यथा अथवा अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति सहित किसी अन्य तरीके से हुई हो अथवा तदर्थ आधार पर हुई हो, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नवीनतम दिशा-निर्देशों/आदेशों के अनुसार टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है।

आयोग भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों (साधारण ग्रेड) को अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान करने के लिए प्रवीणता परीक्षाओं और दक्षता बोनस योजना के अधीन टंकण परीक्षाओं का आयोजन भी करता है।

ख. कर्मचारी चयन आयोग का संगठनात्मक ढांचा

2.11 कर्मचारी चयन आयोग के प्रमुख इसके अध्यक्ष हैं, जिनका रैंक और दर्जा भारत सरकार में सचिव/अपर सचिव का है। उन्हें दो सदस्यों, जिनका रैंक और दर्जा भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर का है, और अन्य अधिकारियों तथा सहायक स्टाफ द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। 31.03.2019 को आयोग की स्वीकृत स्टाफ संख्या नई दिल्ली स्थित मुख्यालय एवं क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय कार्यालयों सहित कुल मिलाकर 541 थी। कुल स्वीकृत संख्या में से 247 पद (45.66%) आयोग मुख्यालय में स्थित हैं।

2.12 आयोग के 07 क्षेत्रीय और 02 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में संस्वीकृत पदों का वितरण नीचे सारणी 2.1 में दिया गया है।

सारणी - 2.1

क्षेत्रीय कार्यालय		
क्रम सं.	क्षेत्र	संस्वीकृत पद
1	मध्य क्षेत्र	42
2	पूर्वी क्षेत्र	40
3	कर्नाटक और केरल क्षेत्र	27
4	उत्तरी क्षेत्र	46
5	पूर्वोत्तर क्षेत्र	25
6	दक्षिणी क्षेत्र	36
7	पश्चिमी क्षेत्र	38
उप-क्षेत्रीय कार्यालय		
8	मध्य प्रदेश क्षेत्र	20
9	पश्चिमोत्तर क्षेत्र	20
	योग	294

2.13 आयोग का संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट-ख में दिया गया है।

2.14 पदों एवं उनका वेतनमान संबंधी ब्योरा और मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टाफ की संख्या का ब्योरा परिशिष्ट-ग में है।

ग. क्षेत्रीय नेटवर्क

2.15 कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय ब्लॉक-12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के 07 क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज, बेंगलुरु, चेन्नै, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और 02 उप-क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ और रायपुर में स्थित हैं।

2.16 इस नेटवर्क से आयोग और राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित होता है। आयोग क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय नेटवर्क के जरिए अपनी परीक्षाओं के आयोजन में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम होता है। क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय अभ्यर्थियों को उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए स्थानीय संपर्क केन्द्र प्रदान करने का कार्य भी करते हैं।

2.17 आयोग के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य रूप से अपनी सभी परीक्षाओं अर्थात् सात (07) अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी अधिदेशित परीक्षाओं, तीन (03) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं, चयन पदों के लिए परीक्षाओं और इन परीक्षाओं से संबद्ध कौशल परीक्षाओं के निर्बाध एवं कुशल आयोजन करने व दस्तावेज सत्यापन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय नेटवर्क, भारत सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट की गई गैर-अधिदेशित परीक्षाओं के आयोजन में भी उसे सहायता प्रदान करता है।

2.18 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय परीक्षाओं के आयोजन में अन्तर्विष्ट विभिन्न अन्य कार्यकलापों को भी निष्पादित करते हैं, जैसे - आवेदनों का इलेक्ट्रॉनिक डाटा तैयार करना, आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्रों (ए सी) को अपलोड करना, जिला प्राधिकारियों / सेवा प्रदाताओं से विचार-विमर्श करके अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षा स्थलों को बुक करना / अंतिम रूप प्रदान करना, केन्द्र पर्यवेक्षकों को गैर-गोपनीय परीक्षा सामग्री भेजना और विभिन्न परीक्षा स्थलों में निरीक्षकों और निरीक्षण अधिकारियों को नियुक्त करना। वे विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा / शारीरिक मापदंड परीक्षा (पीईटी/पीएसटी) और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) एवं पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) के आयोजन से भी संबद्ध हैं।

2.19 आयोग मुख्यालय द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के उपरांत क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित करना होता है, उन्हें संस्तुत अभ्यर्थियों के डोजियर तैयार करने होते हैं और उन्हें प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों को नियुक्ति के लिए भेजना होता है।

2.20 आयोग की परीक्षाओं के आयोजन की मूल रूप से क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निगरानी और पर्यवेक्षण किया जाता है। बुनियादी स्तर पर समक्ष आ रहे संचालन संबंधी मुद्दों व समस्याओं को क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोग मुख्यालय को दिशा-निर्देश और निर्णय लेने के लिए संदर्भित किया जाता है। ऐसे मुद्दों का त्वरित और समय पर समाधान करने के लिए आयोग मुख्यालय और क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए तेजी से और दिन-प्रतिदिन के आधार पर आपसी विचार-विमर्श होता है।

2.21 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों, उनके स्थान / पते और अधिकार क्षेत्र का ब्यौरा परिशिष्ट-घ और घ-I में दिया गया है।

घ. बजट और परीक्षा शुल्क

2.22 भारत सरकार द्वारा आयोग के कार्य संचालन के लिए बजटीय सहायता कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वार्षिक बजट से दी जाती है। समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के माध्यम से आयोग द्वारा आयोजित गैर-अधिदेशित परीक्षाओं के संबंध में व्यय, संबंधित मांगकर्ता मंत्रालय/विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

2.23 आयोग अभ्यर्थियों से आवेदन की प्राप्ति के समय परीक्षा शुल्क लेता है। आयोग, सरकार के परामर्श से शुल्क ढांचे का निर्धारण करता है। वर्तमान समय में, आयोग अनारक्षित, ई डब्ल्यू एस और अ.पि.व. वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से 100/- रु. शुल्क लेता है। अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा), दिव्यांगजनों (शा.दि.), भूतपूर्व सैनिक (भ.पू.सै.) और सभी महिला अभ्यर्थियों, चाहे उनकी श्रेणी कुछ भी हो, को परीक्षा-शुल्क के भुगतान से छूट दी गयी है। परीक्षा शुल्क का संग्रहण सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से, भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के जरिए तथा ग्रामीण अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए भारतीय स्टेट बैंक के बैंक चालान के माध्यम से होता है। अभ्यर्थियों से लिया गया परीक्षा शुल्क भारत की संचित निधि में जमा होता है।

2.24 वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग का व्यय 142.42 करोड़ रु. था तथा तदनुरूपी अवधि के दौरान परीक्षा शुल्क तथा परीक्षा से संबंधित अन्य प्रभारों से आय 64.63 करोड़ रु थी। कर्मचारी चयन आयोग का विगत तीन वर्षों में आय और व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका 2.2 में दिया गया है:

सारणी- 2.2

(रु. करोड़ में)

वर्ष	आय	ब.प्रा. (बी ई)	सं.प्रा. (आर ई)	व्यय (वास्तविक)	उपयोग की प्रतिशतता (%)
1	2	3	4	5	5/4
2016-17	71.67	167.32	113.03	112.91	99.89%
2017-18	57.04	197.32	348.77	348.19	99.83%
2018-19	64.63	286.13	142.81	142.42	99.73%

अध्याय –III

वर्ष 2018-19 का सिंहावलोकन

- 3.1 वर्ष 2018-19 के दौरान, आयोग ने 70,87,490 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाएं आयोजित की।
- 3.2 वर्ष के दौरान, आयोग ने अपनी सभी परीक्षाओं के लिए आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त किया। इससे आयोग और अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त रूप से समय और व्यय में काफी बचत हुई है। इससे अभ्यर्थियों के और अधिक सटीक डॉटा बेस को तैयार करने में भी सहायता मिली है।
- 3.3 आयोग ने वर्ष 2018-19 के दौरान 10 परीक्षाएं आयोजित की, जिसमें 36,81,155 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे।
- 3.4 वर्ष 2018-19 के दौरान, आयोग द्वारा वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान आयोजित पांच अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतिम परिणाम घोषित किए गए और विभिन्न प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों के लिए नियुक्ति हेतु 16,729 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई। इन 16,729 अभ्यर्थियों में से, 16,160 अभ्यर्थी विभिन्न अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए तथा 569 अभ्यर्थी चयन पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए।
- 3.5 आयोग, अपनी अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करने के अलावा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं और चयन पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। आयोग, भारत सरकार से प्राप्त विशिष्ट निदेशों के आधार पर गैर-अधिदेशित परीक्षाओं का आयोजन भी करता है। इसी तरह, वर्ष 2018-19 के दौरान, आयोग ने एक समझौता ज्ञापन(एम.ओ.यू) के आधार पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल(सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन(सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा, 2018 के लिए भी गैर-अधिदेशित परीक्षा आयोजित की।
- 3.6 वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग की अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों का क्षेत्रवार और श्रेणीवार ब्यौरा नीचे सारणी- 3.1 में दिया गया है :

सारणी- 3.1


अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की गयी भर्ती

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे	1496	412	120	2573	191	154	4,601
पू.क्षे	555	207	48	593	128	38	1,403


के.क.क्षे.	167	14	3	220	117	0	404
म.प्र.क्षे.	198	41	11	189	25	12	439
पूर्वो.क्षे.	13	10	33	28	6	1	84
उ.क्षे.	3,068	882	904	2,704	371	86	7,558
पश्चिमो.क्षे.	320	79	6	132	64	7	537
द.क्षे.	143	67	40	368	106	12	618
प.क्षे.	165	92	72	187	96	6	516
योग	6,125	1,804	1,237	6,994	1,104	316	16,160

* भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांगजनों को मुख्य श्रेणी में शामिल किया गया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में क्षेत्र-वार चयन



वर्ष 2018-19 के दौरान अधिदेशित अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं में अना, अजा, अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों का चयन



3.7 वर्ष 2018-19 के दौरान चयन पदों पर की गयी नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों का क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नलिखित सारणी 3.2 में दिया गया है:

सारणी – 3.2


चयन पदों के लिए की गयी भर्ती

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	13	2	1	9	0	0	25
पू.क्षे.	55	9	12	39	0	3	115
के.क.क्षे.	22	3	2	7	0	1	34
म.प्र.क्षे.	6	0	2	1	0	0	9
पूर्वोत्तर क्षे.	6	1	2	3	0	0	12
उ.क्षे.	80	40	4	80	0	3	204

पश्चिमोत्तर	36	15	4	6	0	0	61
द.क्षे.	29	2	0	14	0	0	45
प.क्षे.	35	9	4	16	0	0	64
योग	282	81	31	175	0	7	569

* भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांगजनों को मुख्य श्रेणी में शामिल किया गया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान चयन पद परीक्षाओं में क्षेत्र-वार चयन



3.8 आयोग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के लिए जनशक्ति की भर्ती करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2010-11 से 2018-19 की अवधि के दौरान आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 2,03,440 कांस्टेबल (सा.ड्यू.) / राइफलमैन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए 22,037 उप निरीक्षकों/ सहायक उप-निरीक्षकों की संस्तुति की है।

क. सरकारी नौकरियों में अ.ज./अ.ज.जा/अ.पि.व. के अभ्यर्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम

3.9 आयोग सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को यथोचित महत्व देता है और सुनिश्चित करता है कि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व के लिए आरक्षित रिक्तियों को पूरी तरह से भरा गया है। कर्मचारी चयन आयोग की

परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:-

- i) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाती है और अपिव श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाती है।
- ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है।
- iii) आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में जनजातीय अभ्यर्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोग का एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में भी स्थापित किया गया है।

3.10 वर्ष 2018-19 के दौरान अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के नामित किए गए अभ्यर्थियों के ब्योरे अध्याय-IV में दर्शाए गए हैं। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं के माध्यम से 1,804 अ.जा. अभ्यर्थी, 1,237 अ.ज.जा. अभ्यर्थी और 6,994 अ.पि.व. अभ्यर्थी अर्थात् कुल मिलाकर 10,035 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए थे। यह संख्या नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों की कुल संख्या का 62.10% है।

इसी प्रकार 569 चयन पदों में से 81 अ.जा. अभ्यर्थी, 31 अ.ज.जा. अभ्यर्थी और 175 अ.पि.व. अभ्यर्थी अर्थात् कुल मिलाकर 287 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए। यह चयन पदों पर नियुक्ति के लिए संस्तुत कुल अभ्यर्थियों की संख्या का 50.44% बैठती है।

ख. आयोग की परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी

3.11 आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेने के लिए महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, प्रत्येक विज्ञापन के प्रथम पृष्ठ पर एक शीर्षक विशेष रूप से शामिल किया जाता है, "सरकार एक ऐसा कार्य बल बनाने का प्रयास करती है, जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिंबित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।" इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में महिलाओं के भाग लेने को बढ़ावा देने के लिए सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग के विभिन्न अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में कुल 32,75,779 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जो कि कुल आवेदकों का 25.34 प्रतिशत है।

ग. परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

3.12 आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में असाधारण वृद्धि होने के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षाएं कराने का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। वर्ष 2018-19 के

दौरान, आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव सावधानियां बरती और उपाय किए। किए गए मुख्य उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ इनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

- i) परीक्षा केंद्रों का सावधानी पूर्वक चयन,
- ii) अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक पंजीकरण,
- iii) सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के अधीन कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं का आयोजन,
- iv) हस्त मेटल डिटेक्टर (एच एच एम डी) का प्रयोग करके अभ्यर्थियों की संपूर्ण जांच,
- v) बायोमेट्रिक पंजीकरण से जुड़े अभ्यर्थियों की यादृच्छिक रूप से बैठने की व्यवस्था,
- vi) निरीक्षणकर्ता अधिकारियों और फ्लाइंग स्क्वाड (उड़न दस्तों) की तैनाती सहित उच्च-स्तरीय अनुवीक्षण और निरीक्षण,
- vii) चयनित परीक्षा स्थलों पर सेवा प्रदाता द्वारा द्रुत अनुक्रिया दलों की तैनाती।
- viii) परीक्षा आरंभ होने से पहले निरीक्षकों, निरीक्षण कर्ता अधिकारियों (आइओ) व अन्य पद अधिकारियों की विस्तृत ब्रीफिंग,
- ix) दस्तावेज सत्यापन जिसमें कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के सत्यापन हेतु उनकी अंगुलियों के निशान लिए जाते हैं,
- x) निम्नलिखित स्कीम के अनुसार परीक्षा स्थलों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा की तैनाती की जाती है: -
 - क) सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त निजी व्यावसायिक सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से परीक्षा स्थलों के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। ये सुरक्षा कार्मिक अभ्यर्थियों की संपूर्ण जामा तलाशी भी लेते हैं और परीक्षा स्थलों में अभ्यर्थियों के प्रवेश का बारीकी से संचालन करते हैं।
 - ख) परीक्षा स्थलों पर बाह्य सुरक्षा राज्य पुलिस कार्मिकों द्वारा मुहैया कराई जाती है।
 - ग) आयोग संवेदनशील/अति-संवेदनशील परीक्षा स्थलों पर, जहां आवश्यकता होती है, गृह मंत्रालय की सहायता से अर्धसैनिक बलों की तैनाती करता है।
- xi) परीक्षा स्थल पर ड्यूटी कर रहे सभी सुरक्षा कार्मिकों को अपने शरीर पर प्रदर्शित वैध पहचान-पत्र के साथ ड्रेस कोड का सख्तीपूर्वक पालन करना होता है, जिससे उनकी आसानी से पहचान की जा सके।
- xii) परीक्षा के दौरान निषिद्ध वस्तुओं के संबंध में अधिसूचना जारी करना जिसका परीक्षा के दौरान सख्तीपूर्वक कार्यान्वयन किया जाता है।
- xiii) कदाचारों में लिप्त पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाती है और उन्हें आयोग की भावी परीक्षाओं में बैठने के लिए विवर्जित कर दिया जाता है।

घ. न्यायालयी मामले

3.13 कर्मचारी चयन आयोग अनेक न्यायालयी मामलों पर भी कार्रवाई करता है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में आयोग द्वारा 2,068 न्यायालयी मामलों और 13 विशेष अनुमति याचिकाओं के खिलाफ मुकदमा लड़ा जा रहा था। पिछले कई वर्षों से यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से देखी गई है कि किसी भी परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात असफल अभ्यर्थियों द्वारा दायर न्यायालयी मामलों में वृद्धि हो जाती है। इन न्यायालयी मामलों पर आयोग द्वारा मुस्तैदी से कार्रवाई की जाती है ताकि उन्हें न्यूनतम संभव समय में निपटाने के लिए न्यायालयों को सही, तथ्यात्मक और विधिक स्थिति की जानकारी दी जा सके। आयोग मुख्यालय तथा 09 क्षेत्रीय व उपक्षेत्रीय कार्यालयों के न्यायालयी मामलों की आयोग द्वारा नियमित आधार पर सघन रूप से निगरानी की जाती है ताकि सभी अपेक्षित कार्यों जैसे काउंटर हलफनामा दायर करना, सरकारी अधिवक्ताओं को ब्रीफिंग देना तथा अन्य प्रतिवादी संगठनों के साथ समन्वयन करना इत्यादि को शीघ्रतापूर्वक समयबद्ध तरीके से किया जा सके।

ड. सी पी जी आर ए एम एस के अन्तर्गत लोक शिकायतों का निवारण/निपटान

3.14 इस समय, भारत सरकार की नोडल एजेन्सी अर्थात् प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के अधीन ऑन लाइन लोक शिकायतों को केन्द्रित रूप से मॉनीटर किया जाता है। आयोग में अनुसंधान एवं विश्लेषण अनुभाग सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप लोक शिकायतों/परिवादों के निवारण/निपटान के समन्वयन का कार्य करता है। कर्मचारी चयन आयोग में संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी को लोक शिकायत नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। लोक शिकायत नोडल अधिकारी को अधिकारियों के एक संपूरक दल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिसमें एक अवर सचिव, एक अनुभाग अधिकारी तथा एक सहायक अनुभाग अधिकारी होता है।

3.15 आयोग सुदृढ़ निगरानी तंत्र के जरिए यह सुनिश्चित करने का ठोस प्रयास करता है कि सभी सीपीजीआरएएमएस मामलों को यथोचित प्राथमिकता के आधार पर और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कुशलतापूर्वक निपटान कर दिया गया है। इस तंत्र के जरिए आयोग के सीपीजीआरएएमएस मामलों का निपटान-समय घटकर 10 दिन तक आ गया है। आयोग शिकायतकर्ताओं को भेजे गए उत्तरों की गुणवत्ता को भी उचित महत्व देता है। ऑफ लाइन शिकायतों सहित इन शिकायतों के समय पर और संतोषजनक निपटान की निगरानी आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा साप्ताहिक आधार पर की जाती है।

3.16 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारी चयन आयोग में सीपीजीआरएएमएस के अंतर्गत प्राप्त 7452 शिकायतों में से 7432 लोक शिकायतों का निपटान किया गया। वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त शेष 20 शिकायतों, जोकि वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हुई थी, को अगले वर्ष के लिए अग्रपिछित कर दिया गया।

च. ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल

3.17 आयोग के मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचना का अधिकार आवेदनों और अपीलों को प्राप्त करने तथा उनका समयबद्ध तरीके से निपटान करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन सूचना का अधिकार पोर्टल के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। तदनुसार, अधिकांश सूचना का अधिकार आवेदनों और अपीलों की अब ऑनलाइन प्राप्ति तथा उन पर कार्रवाई भी ऑनलाइन की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप कागजी कार्य को कम करने के अलावा सूचना का अधिकार आवेदनों के उत्तरों को तैयार करना और उनकी सुपुर्दगी अधिक प्रभावी रूप से हो रही है। वर्ष 2018-19 के दौरान, आयोग मुख्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कुल 19,974 सूचना का अधिकार आवेदन तथा 1,254 अपीलें प्राप्त हुईं तथा इनका निर्धारित अवधि के भीतर त्वरित रूप से निपटान किया गया।

3.18 केन्द्रीय सूचना आयोग की तिमाही रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) में प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों और प्रथम अपीलों की कुल संख्या सारणी 3.3 में दी गई है:-

सारणी-3.3

क्र.सं.	तिमाही विवरणी	आरटीआई आवेदन (ऑनलाइन + ऑफलाइन)	प्रथम अपीलें
1	पहली तिमाही (01.04.18 से 30.06.18)	7,323	508
2	दूसरी तिमाही (01.07.18 से 30.09.18)	4,676	307
3	तीसरी तिमाही (01.10.18 से 31.12.18)	4,622	236
4	चौथी तिमाही (01.01.19 से 31.03.19)	3,353	203
	योग	19,974	1,254

अध्याय-IV

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित परीक्षाएं और किए गए चयन

4.1 आयोग, भारत सरकार की एक प्रमुख भर्ती एजेंसी के रूप में, अपने अधिदेशित उत्तरदायित्वों के निर्वहन में, अपनी परीक्षाओं को कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने, परिणामों की समय पर घोषणा सुनिश्चित करने और चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों आदि में शीघ्रतापूर्वक करने के लिए प्रतिबद्ध है।

4.2 वर्ष 2018-19 में आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं (परीक्षा के चरणों) के लिए पंजीकृत करने वाले कुल 70,87,490 अभ्यर्थियों में से 66,50,348 अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और 4,37,142 अभ्यर्थियों को चयन पद परीक्षाओं के लिए पंजीकृत किया गया था।

4.3 वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं का परीक्षा-वार विवरण निम्नलिखित सारणी 4.1 में दिया गया है:

सारणी- 4.1

अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षा 2018-19

क्रम सं	परीक्षा का नाम	परीक्षा तिथि	पंजीकृत अभ्यर्थी	उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या
1	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रा सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2017 (प्रश्नपत्र -II)	29.04.2018	5,855	5,095
2	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2017 (टियर-III)	08.07.2018	47,002	41,491
3	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+ 2) स्तरीय परीक्षा (टियर-II), 2017	15.07.2018	48,395	42,226
4	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा (प्रश्नपत्र-I), 2018	13.01.2019	49,651	15,603
5	चयन पद (चरण-VI) परीक्षा, 2018 (मैट्रिक स्तर)	16.01.2019 से 18.01.2019	2,10,601	55,594
6	चयन पद (चरण-VI) परीक्षा, 2018 (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	17.01.2019 से 18.01.2019	74,462	17,554
7	चयन पद (चरण-VI) परीक्षा, 2018 (स्नातक स्तर)	17.01.2019 से 18.01.2019	1,52,079	32,242

8	आशुलिपिक श्रेणी 'ग' और 'घ' परीक्षा, 2018 (प्रश्नपत्र-I)	05.02.2019 से 07.02.2019	4,38,905	1,97,552
9	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल(सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन(सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा, 2018.	11.02.2019 से 11.03.2019	52,36,810	30,41,284
10	दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप-निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा (प्रश्नपत्र -I), 2018	12.03.2019 से 16.03.2019	8,23,730	2,32,514
योग			70,87,490	36,81,155

क. 1.4.2018 से 31.3.2019 की अवधि के दौरान घोषित परिणाम

4.4 वर्ष 2018-19 के दौरान, जिन पांच परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए थे, वे नीचे सारणी 4.2 से 4.11 में दिए गए हैं: -

1. एम टी एस (गैर-तकनीकी) परीक्षा, 2016

परिणाम घोषित करने की तिथि – 28.04.2018

सारणी-4.2

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	14,86,604	16,98,715	5,81,896	29,22,121	16,750	1,07,043	66,89,336
क.द.प./कौशल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	8,249	2,195	1,648	11,419	2,289	618	23,511
अंतिम रूप से संस्तुत	3,905	1,010	841	4,918	834	247	10,674

सारणी-4.3

एम टी एस (गैर-तकनीकी) परीक्षा, 2016: क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	1,167	297	107	2,085	150	121	3,656
पू.क्षे.	495	166	34	503	112	32	1,198
के.क.क्षे.	152	9	0	204	103	0	365

म.प्र.क्षे.	120	19	7	136	21	10	282
पूर्वो.क्षे	7	3	15	15	3	0	40
उ.क्षे.	1,543	351	576	1,421	233	64	3,891
पश्चिमो.क्षे.	192	37	1	72	47	6	302
द.क्षे.	110	55	34	321	94	12	520
प.क्षे.	119	73	67	161	71	2	420
योग	3,905	1,010	841	4,918	834	247	10,674

2 कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा, 2017

परिणाम घोषित करने की तिथि – 14.06.2018

सारणी-4.4

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	9,186	8,141	2,516	9,288	554	702	29,131
दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	356	256	133	551	52	87	1,296
अंतिम रूप से संस्तुत	144	43	28	108	29	11	323

सारणी-4.5

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा, 2017: क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	5	1	-	5	-	4	11
पू.क्षे.	28	17	9	38	4	3	92
के.क.क्षे.	6	1	2	6	7	0	15
म.प्र.क्षे.	5	2	2	3	-	0	12
पूर्वो.क्षे	3	-	1	5	1	1	9
उ.क्षे.	73	19	11	33	13	1	136
पश्चिमो.क्षे.	8	1	1	12	3	0	22
द.क्षे.	3	-	2	2	1	0	7
प.क्षे.	13	2	-	4	-	2	19
योग	144	43	28	108	29	11	323

3. कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रा सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2017
परिणाम घोषित करने की तिथि – 15.10.2018

सारणी-4.6

	अना	अजा	अजजा	अपिव	शा.दि*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	3,26,917	1,83,792	65,022	4,19,619	7,634	9,95,350
दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	564	243	168	624	25	1,599
अंतिम रूप से संस्तुत	124	53	29	135	8	341

सारणी-4.7

- कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रा सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2017: क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	शा.दि*	योग
म.क्षे.	9	6	0	25	1	40
पू.क्षे.	3	1	0	1	1	5
के.क.क्षे.	1	1	0	2	0	4
म.प्र.क्षे.	18	3	0	12	0	33
पूर्वो.क्षे.	0	0	0	0	0	0
उ.क्षे.	82	40	29	80	5	231
पश्चिमो.क्षे.	3	0	0	0	0	3
द.क्षे.	8	1	0	13	0	22
प.क्षे.	0	1	0	2	1	3
योग	124	53	29	135	8	341

4. दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप- निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2017
परिणाम घोषित करने की तिथि - 03.11.2018

सारणी-4.8

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	2,22,004	1,54,563	74,337	2,78,692	8,413	7,29,596

दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	1,777	659	323	2,317	309	5,076
अंतिम रूप से संस्तुत	1,440	489	226	1,200	239	3,355

सारणी-4.9

दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप- निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2017: क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	योग
म.क्षे.	185	57	10	174	41	426
पू.क्षे.	22	21	3	24	12	70
के.क.क्षे.	6	3	1	7	7	17
म.प्र.क्षे.	20	9	2	14	4	45
पूर्वो.क्षे	3	7	17	7	2	34
उ.क्षे.	1,048	329	183	895	123	2,455
पश्चिमो.क्षे.	110	38	4	41	14	193
द.क्षे.	18	11	3	26	11	58
प.क्षे.	28	14	3	12	25	57
योग	1,440	489	226	1,200	239	3,355

5. आशुलिपिक ग्रेड 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2017

परिणाम घोषित करने की तिथि - 29.03.2019

सारणी-4.10

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	1,46,413	1,45,525	47,502	2,02,459	1,081	9,667	5,41,899
कौशल परीक्षा/ दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	7,629	3,382	2,587	9,875	40	968	23,473
अंतिम रूप से संस्तुत	512	209	113	633	2	748	1,467

सारणी-4.11

आशुलिपिक ग्रेड 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2017: क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	130	51	3	284	0	28	468
पू.क्षे.	7	2	2	27	0	2	38
के.क.क्षे.	2	0	0	1	0	0	3
म.प्र.क्षे.	35	8	0	24	0	2	67
पूर्वो.क्षे	0	0	0	1	0	0	1
उ.क्षे.	322	143	105	275	2	16	845
पश्चिमो.क्षे.	7	3	0	7	0	1	17
द.क्षे.	4	0	1	6	0	0	11
प.क्षे.	5	2	2	8	0	1	17
योग	512	209	113	633	2	50	1,467

*भूपूसै एवं शा.दि को मुख्य श्रेणी में शामिल किया गया है।

नोट: अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में, अजा/अजजा/अपिव वर्ग के वे अभ्यर्थी भी शामिल है जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी स्तर पर अर्हता प्राप्त की है।

ख. वर्ष 2018-19 के दौरान अधिसूचित सीमित विभागीय परीक्षा:

4.5 आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कोई सीमित विभागीय परीक्षा अधिसूचित नहीं की गई, तथापि आयोग द्वारा एक सीमित विभागीय परीक्षा अर्थात् उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016 के अंतिम परिणाम की घोषणा दिनांक-07.12.2018 को की गई, जिसमें 140 अभ्यर्थियों को अवर श्रेणी लिपिक श्रेणी से उच्च श्रेणी लिपिक श्रेणी में पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया।

ग. वार्षिक टंकण परीक्षा

4.6 आयोग भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सहायकों/अवर श्रेणी लिपिकों (सीधे भर्ती से आए अवर श्रेणी लिपिकों को छोड़कर) आदि के लिए वेतनवृद्धि प्रदान करने और उस संबंधित ग्रेड में स्थायी किए जाने के उद्देश्य से कंप्यूटर पर वार्षिक टंकण परीक्षा भी आयोजित करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित कंप्यूटर पर वार्षिक टंकण परीक्षा के लिए कुल 759 अभ्यर्थियों (वर्ष 2018 के वार्षिक विभागीय टंकण परीक्षा के लिए 393 और वर्ष 2019 के वार्षिक विभागीय टंकण परीक्षा के लिए 366) ने पंजीकरण करवाया था, कुल 759 अभ्यर्थियों में से 626 अभ्यर्थियों (वर्ष 2018 के लिए 327 और वर्ष 2019 के लिए 299) ने परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से 101 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया।

घ. वार्षिक आशुलिपि परीक्षा

4.7 आयोग आशुलिपिक श्रेणी 'घ' विभागीय परीक्षाओं के लिए वार्षिक विभागीय आशुलिपि परीक्षा का आयोजन भी करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान वार्षिक आशुलिपि परीक्षा में कुल 83 अभ्यर्थियों (वर्ष 2018 के वार्षिक विभागीय आशुलिपि परीक्षा के लिए 41 और वर्ष 2019 के वार्षिक विभागीय आशुलिपि परीक्षा के लिए 42) ने भाग लिया था, जिनमें से 01 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया। वार्षिक विभागीय आशुलिपि कौशल परीक्षा, 2017 का परिणाम भी दिनांक-28.08.2019 को घोषित किया गया, जिसमें परीक्षा में भाग लेने वाले कुल 20 अभ्यर्थियों में से, किसी अभ्यर्थी को अर्हता प्राप्त घोषित नहीं किया गया।

अध्याय-V

चयन पदों पर भर्ती

5.1 आयोग, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों संबंधी चयन पदों के लिए भी भर्ती करता है। चयन पद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में एकाकी पद होते हैं जो आयोग द्वारा आयोजित किसी भी अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं है, क्योंकि इनमें रिक्तियों की संख्या सामान्यतः कम होती है तथा ऐसे पदों के लिए अनिवार्य योग्यता संबंधित पद (पदों) की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप मैट्रिक्यूलेशन से स्नातकोत्तर तक भिन्न-भिन्न होती है।

5.2 चयन पदों पर भर्ती निम्नलिखित चरणों में की जाती है :-

- i) संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय(यों) द्वारा प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों से सिंगल विंडो प्रणाली के अन्तर्गत मांग प्राप्त करना।
- ii) आयोग और इसके सभी क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर चयन पदों पर भर्ती हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी में रिक्तियों का विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एक निर्देशात्मक विज्ञप्ति रोजगार समाचार और साथ ही साथ देश के प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार-पत्र में भी प्रकाशित की जाती है।
- iii) लिखित परीक्षा के लिए कंप्यूटर आधारित प्रणाली में आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं। परीक्षा संचालित होने के बाद, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को भरे गए आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट-आउट को, संवीक्षा चरण में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों)/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कराना होता है।
- iv) क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय(यों) द्वारा अगले चरण के लिए अर्हता-प्राप्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज संवीक्षा तथा उसके बाद जहां अनिवार्य योग्यता में निर्धारित किया गया है, टंकण/डाटा एंट्री/कंप्यूटर प्रवीणता आदि जैसी परीक्षा आयोजित की जाती है।
- v) प्रत्येक श्रेणी के पद (पदों) के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (डीवी) का कार्य संबंधित क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है।
- vi) आयोग (मुख्यालय) से अनुमोदन लेने के पश्चात, प्रत्येक श्रेणी के पद (पदों) के लिए अलग-अलग अंतिम चयन सूची घोषित और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं।
- vii) अभ्यर्थियों को पदों के लिए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के संबंध में उनके रैंक और श्रेणी के अनुसार नामित किया जाता है। आयोग के संबंधित क्षेत्रीय /उप क्षेत्रीय कार्यालय(यों) द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों में नामित किया जाता है।

- viii) आयोग चयन पदों के लिए आरक्षित सूची का अनुरक्षण करता है जिसका संचालन आयोग केवल उन्हीं मामलों में करता है जिनमें प्रयोक्ता विभाग से इस संबंध में अनुरोध मिला हो कि चयन सूची से नामित अभ्यर्थियों ने प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग में कार्य ग्रहण नहीं किया है, जिसके कारण उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई है।

5.3 वर्ष 2018-19 के दौरान, आयोग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में भिन्न चरणों में चयन पदों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए कुल 569 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई। इनका ब्योरा नीचे सारणी(णियों) 5.1 से 5.2 में दिया गया है:

सारणी – 5.1

समूह 'ख' चयन पद

क्षेत्र का नाम	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या*	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या		
		पुरुष	महिला	कुल
म.क्षे.	5,368	11	11	22
पू.क्षे.	10,896	07	03	10
के.क.क्षे.	1,537	07	01	08
म.प्र. क्षे.	1,758	01	01	02
उ. क्षे.	21,416	158	31	189
पूर्वो. क्षे.	1,351	10	00	10
पश्चिमो. क्षे.	17,723	10	00	10
द. क्षे.	9,224	04	00	04
प. क्षे.	3,050	29	03	32
योग	72,323	237	50	287

सारणी -5.2

समूह 'ग' चयन पद

क्षेत्र का नाम	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या		
		पुरुष	महिला	कुल
म.क्षे.	1,358	21	01	22
पू.क्षे.	77,713	76	10	86
के.क.क्षे.	9,761	24	02	26
म.प्र. क्षे.	4,133	06	01	07
उ. क्षे.	95,985	15	00	15
पूर्वो. क्षे.	2,105	01	01	02
पश्चिमो. क्षे.	14,098	51	00	51
द. क्षे.	9,523	34	07	41
प. क्षे.	3,485	31	01	32
योग	2,18,161	259	23	282

*श्रेणी-वार ब्योरा परिशिष्ट ड. और ड.-I में दिया गया है।

अध्याय-VI

परीक्षा केन्द्र

6.1 आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण, पिछले कुछ वर्षों के दौरान परीक्षा केन्द्रों (शहरों) की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। आयोग ने जब कार्य करना आरम्भ किया था, अर्थात् जुलाई 1976 में केवल 09 परीक्षा केन्द्र थे। तब से परीक्षा केन्द्रों की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। वर्ष 2016 से, परीक्षा की परम्परागत पद्धति अर्थात् ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओ.एम.आर.) पद्धति से कम्प्यूटर आधारित पद्धति (क.आ.प.) परीक्षा में परिवर्तन होने के कारण कम्प्यूटर नॉड्स से युक्त परीक्षा स्थलों/केन्द्रों की उपलब्धता अनिवार्य आवश्यकता बन गयी है। इस कारण परीक्षा केन्द्रों को सरकारी विद्यालयों से सुसज्जित उपकरणों से युक्त कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं तथा तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों में स्थानान्तरित करना अनिवार्य हो गया है।

6.2 आयोग सम्पूर्ण देश में चुने गए केन्द्रों में अपनी परीक्षाओं का आयोजन करता है। इन केन्द्रों का चयन बहुत तकनीकी आवश्यकताओं और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :

- i) आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप कम्प्यूटर नॉड्स, इंटरनेट सुविधाओं तथा अबाधित विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता।
- ii) ग्रामीण, सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों में पहुँचने की सुगमता।
- iii) उन केन्द्रों के परीक्षा स्थल पर सुरक्षा प्रबंध करने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों द्वारा आश्वासन।
- iv) मूल सुविधाओं जैसे पेयजल और स्वच्छता का प्रबंध तथा परीक्षा स्थलों में पर्याप्त धारित-स्थान की उपलब्धता ताकि अभ्यर्थी अपने निजी सामान इत्यादि को वहां जमा करा सकें।
- v) संबंधित शहर के केन्द्रीय व्यावसायिक जिले से परीक्षा स्थलों तक पहुँचने की सुगमता।
- vi) महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगजनों के लिए परीक्षा स्थलों की उपयुक्तता जिससे ऐसे अभ्यर्थियों को अधिक दूर न जाना पड़े और असुविधा भी न हो।
- vii) भीड़-भाड़ वाले/वाणिज्यिक क्षेत्रों में परीक्षा स्थलों का चयन न करना।
- viii) परीक्षाओं के लिए परीक्षा स्थलों का चयन करते समय उनके पिछले कार्य-निष्पादन के रिकार्ड का ध्यान रखा जाता है।

6.3 कुछ मामलों में, परीक्षाओं के वरीय केन्द्रों/स्थलों पर कम्प्यूटर नॉड्स की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने के कारण अभ्यर्थियों को अन्य स्थानों के लिए स्थानान्तरित किया जाता है। कुछेक अवसरों पर, परीक्षा की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों की पसंद से इतर उन्हें दूसरे केन्द्रों पर भी आबंटित किया जाता है।

6.4 प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान आयोग ने देश भर के 127 परीक्षा केंद्रों (शहरों) पर स्थित 309 परीक्षा स्थलों पर 52,36,810 अभ्यर्थियों के लिए अपनी सबसे बड़ी परीक्षा अर्थात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल(सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन(सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा (प्रश्नपत्र-I), 2018 का आयोजन किया।

6.5 कंप्यूटर आधारित प्रणाली की परीक्षा में परीक्षा केन्द्रों व स्थलों [केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल(सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन(सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा (प्रश्नपत्र-I), 2018 के आधार पर] का क्षेत्र-वार व उप-क्षेत्रवार संख्या का ब्यौरा नीचे सारणी(णियों)

6.1 से 6.9 में दिया गया है:

सारणी-6.1

1. मध्य क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1	आगरा	12
2	अलीगढ़	1
3	आरा	1
4	औरंगाबाद	1
5	बरेली	2
6	भागलपुर	1
7	दरभंगा	1
8	गाजियाबाद	1
9	गोरखपुर	5
10	ग्रेटर नोएडा	1
11	झांसी	2
12	कानपुर	9
13	लखनऊ	20
14	मेरठ	5
15	मुजफ्फरपुर	3
16	नोएडा	2
17	पटना	12
18	पूर्णिया	3
19	वाराणसी	10
	योग	92

सारणी-6.2

2. पूर्वी क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1	आसनसोल	1
2	बालासोर	1
3	बरहमपुर गंजम	2
4	भुवनेश्वर	3
5	बोकारो स्टील सिटी	1
6	कटक	1
7	धनबाद	1
8	हजारीबाग	1
9	हुगली	1
10	जमशेदपुर	1
11	कोलकाता	4
12	पोर्ट ब्लेयर	1
13	रांची	2
14	राऊरकेला	1
15	संबलपुर	2
16	सिलीगुड़ी	1
	योग	24

सारणी-6.3

3. कर्नाटक एवं केरल क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1	बेलागवी (बेलगाम)	1
2	बेंगलुरु	7
3	एरनाकुलम	1
4	हुब्लली (हुबली)	1
5	कलबुर्गी (गुलबर्गा)	1
6	कन्नूर	2
7	मंगलुरु (मैंगलोर)	1
8	मेसुरु (मैसोर)	1
9	कोझिकोड	1
10	तिरुवनंतपुरम	1
11	त्रिसूर	1
	योग	18

सारणी-6.4

4. मध्य प्रदेश क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केन्द्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1	भिलाई नगर	1
2	बिलासपुर	1
3	भोपाल	5
4	ग्वालियर	1
5	इंदौर	3
6	जबलपुर	1
7	रायपुर	1
8	सागर	1
9	सतना	1
10	उज्जैन	1
	योग	16

सारणी-6.5

5. उत्तरी क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केन्द्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1	अजमेर	1
2	अलवर	4
3	बीकानेर	3
4	देहरादून	5
5	फरीदाबाद	1
6	गुरुग्राम	1
7	हलद्वानी	3
8	हरिद्वार	1
9	जयपुर	10
10	जोधपुर	3
11	कोटा	2
12	नई दिल्ली	6
13	रूडकी	3
14	सीकर	2
15	श्री गंगानगर	1
16	उदयपुर	2
	योग	48

सारणी-6.6

6. पूर्वोत्तर क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1	अगरतला	4
2	आइजॉल	1
3	चुराचन्दपुर	1
4	डिब्रूगढ़	1
5	गुवाहटी	3
6	इंफाल	5
7	जोरहाट	2
8	कोहिमा	1
9	नहरलागून	1
10	शिलांग	1
11	सिलचर	1
	... योग	21

सारणी-6.7

7. पश्चिमोत्तर क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1	अमृतसर	1
2	भटिंडा	1
3	चंडीगढ़	4
4	हमीरपुर	1
5	जालंधर	2
6	जम्मू	3
7	लुधियाना	1
8	मोहाली	5
9	पटियाला	1
10	संबा	1
11	शिमला	1
12	श्रीनगर	4
	... योग	25

सारणी-6.8

8. दक्षिणी क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1	चेन्नै	3
2	कोयम्बटूर	2
3	गंटूर	4
4	हैदराबाद	5
5	काकीनाडा	1
6	कारीमनगर	1
7	कुर्नूल	2
8	मदुरै	4
9	राजामंदरी	1
10	तिरुचिरापल्ली	2
11	तिरुनेलवेली	1
12	तिरुपति	2
13	विजयवाड़ा	2
14	विशाखापत्तनम	3
15	विजियानगरम	1
16	वारंगल	1
	योग	35

सारणी-6.9

9. पश्चिमी क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1	अहमदाबाद	4
2	अमरावती	2
3	औरंगाबाद	1
4	गांधीनगर	2
5	जलगांव	1
6	कोल्हापूर	2
7	मुंबई	1
8	नागपूर	3
9	नांदेड़	1
10	नासिक	1
11	नवी मुंबई	1
12	पणजी	1
13	पुणे	4
14	राजकोट	3
15	सूरत	1
16	वडोदरा	2
	योग	30

अध्याय VII

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

7.1 आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। सरकार की मौजूदा नीति के अनुरूप आयोग महिला अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लेता है। आयोग यह भी सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करता है कि महिला अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के परीक्षा स्थल आवंटित किया जाए, जो उनके निवास स्थान(नों) के निकटतम हो।

7.2 रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात् 2018-19 के दौरान, कुल 32,75,779 महिला अभ्यर्थियों ने आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रस्तुत किए, जिसे नीचे दी गई सारणी-7.1 में देखा जा सकता है :-

सारणी- 7.1

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली महिला अभ्यर्थियों की संख्या

क्र.सं	परीक्षा का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या		
		कुल अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थियों की प्रतिशतता
1	दिल्ली पुलिस, के.स.पु.बल में उप निरीक्षक तथा के.ओ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2018	8,23,730	1,77,794	21.58
2	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2018	25,97,431	9,46,005	36.42
3	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल(सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन(सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा, 2018	52,36,810	8,30,913	15.87
4	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा, 2018	49,651	19,470	39.21
5	आशुलिपिक श्रेणी 'ग' तथा 'घ' परीक्षा, 2018	4,38,905	1,82,340	41.54
6	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रात्मक सर्वेक्षण तथा संविदा)परीक्षा, 2018	8,13,622	1,18,067	14.51
7	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10 + 2) स्तरीय परीक्षा, 2018	29,68,655	10,01,190	33.73
	योग	1,29,28,804	32,75,779	25.34

7.3 ऊपर दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 दौरान आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्राप्त हुए कुल 1,29,28,804 आवेदनों में से 32,75,779 आवेदन महिला अभ्यर्थियों से प्राप्त हुए थे। अतः कुल अभ्यर्थियों में से महिला अभ्यर्थियों का प्रतिशत 25.34% था।

7.4 महिला उम्मीदवारों की सबसे अधिक भागीदारी आशुलिपिक श्रेणी 'ग' और 'घ' परीक्षा, 2018 में थी, जहां कुल अभ्यर्थियों में से महिला अभ्यर्थियों का प्रतिशत 41.54% था। इसके बाद कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा, 2018 का स्थान है, जिसमें कुल अभ्यर्थियों में से 39.21% महिला अभ्यर्थी थीं। महिला अभ्यर्थियों की सबसे कम भागीदारी कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रात्मक सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2018 में दर्ज की गई, जो केवल 14.51% थी।

7.5 वर्ष के दौरान जिन विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए थे, उनमें महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर, नीचे सारणी-7.2 में दी गई है :

सारणी-7.2

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान घोषित अंतिम परिणामों में महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर

क्र.सं	परीक्षा का नाम	योग		
		अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या		
		कुल	महिला	प्रतिशत
1	एम टी एस (गैर तकनीकी) परीक्षा, 2016	10,674	937	8.78
2	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा, 2017	323	140	43.34
3	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रात्मक सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा -2017	341	19	5.57
4	दिल्ली पुलिस, के.स.पु.बल में उप निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2017	3,355	528	15.74
5	आशुलिपिक श्रेणी 'ग' और 'घ' परीक्षा, 2017	1,467	313	21.34
	योग	16,160	1,937	11.99

7.6 विभिन्न अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर, जिनके परिणाम वर्ष 2018-19 में घोषित किए गए थे, पुरुष प्रतिस्थानियों की तुलना में कम थी। इन परीक्षाओं में से कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा, 2017 में महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर सबसे अधिक थी जो कि 43.34% थी उसके बाद आशुलिपिक श्रेणी 'ग' और 'घ' परीक्षा, 2017 का स्थान है, जिसमें सफलता दर 21.34 % थी। महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रात्मक सर्वेक्षण और संविदा) परीक्षा, 2017 में सबसे कम थी जो कि 5.57 % थी।

अध्याय- VIII

आयोग की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां

क. कौशल परीक्षा

8.1 आयोग ने दिनांक 01.4.2010 से कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार की कौशल परीक्षाओं अर्थात टंकण परीक्षा/ आशुलिपि परीक्षा/ कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (क.प्र.प.)/ डाटा एंट्री कौशल परीक्षा (डा.ए.कौ.प) को आयोजित करने के लिए मॉडेलिटी को अपनाया है। वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न कौशल परीक्षाओं / कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (क.प्र.प) /डाटा एंट्री कौशलपरीक्षा (डा.ए.कौ.प) में बैठने के लिए कुल 23,473 अभ्यर्थी अर्हता प्राप्त थे। नीचे दी गई सारणी-8.1 में आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कौशल परीक्षा / क.प्र.प / डा.ए.कौ.प में बैठने के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का क्षेत्र तथा उप- क्षेत्रवार विवरण दर्शाया गया है: -

सारणी-8.1

क्षेत्र	कौशल परीक्षा / क.प्र.प / डा.ए.कौ.प में बैठने के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या
म.क्षे.	6,431
पू.क्षे.	1,794
के.क.क्षे.	673
म.प्र.क्षे.	721
पूर्वो.क्षे.	303
उ.क्षे.	10,712
पश्चिमोत्तर क्षे.	511
द.क्षे.	1,716
प.क्षे.	612
योग	23,473

ख. दस्तावेज सत्यापन

8.2 अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले, अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता के यथार्थता सत्यापन करने के लिए क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अर्हक अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन इसलिए किया जाता है कि क्या अभ्यर्थी परीक्षा की विज्ञप्ति में यथा अधिसूचित पात्रता मापदंड / शैक्षिक योग्यता को पूरा कर रहे हैं तथा उनकी छद्मरूपण की भी जांच करते हैं। दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभ्यर्थी वास्तव में उस

श्रेणी का है जैसा कि आवेदन पत्र में दावा किया गया है, पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, मैट्रिकुलेशन और शैक्षिक योग्यता तथा भूतपूर्व सैनिक/ जाति/ शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति प्रमाणपत्र (यदि कोई छूट ली गई / लागू हो) मूल रूप से प्रस्तुत करना होता है। अभ्यर्थी को, जहाँ कहीं भी विशेष रूप से अनिवार्य हो अनुभव प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान, अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर को रिकॉर्ड किया जाता है और दस्तावेज सत्यापन शीट ऑनलाइन भरी जाती है। दस्तावेज सत्यापन से पहले आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के डोजियर बनाए जाते हैं जिसमें अपेक्षित प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां अभ्यर्थियों के संबंधित डोजियरों में रखी जाती हैं।

8.3 दस्तावेज सत्यापन में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की भागीदारी अनिवार्य है। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने में विफल रहते हैं, अंतिम चयन के समय किसी भी पद के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाता है। अंतिम चयन के मामले में, इन दस्तावेजों (डोजियर) को मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों को सफल अभ्यर्थी के नामांकन के साथ-साथ भेजा जाता है।

ग. शारीरिक मापदंड परीक्षा (शा.मा.प)/ शारीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प)/विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (वि.चि.प)/ पुनः चिकित्सा परीक्षा (पु.चि.प)

8.4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और दिल्ली पुलिस के पदों की भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मापदंड परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा अनिवार्य स्तर हैं। यदि विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में अभ्यर्थी को 'अयोग्य' घोषित किया जाता है तो उसे पुनः चिकित्सा परीक्षा हेतु अपील करने का प्रावधान है। शा.मा.प / शा.क्ष.प और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा का वास्तविक आयोजन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा किया जाता है, जबकि आयोग अभ्यर्थियों के डेटा का रखरखाव करता है, आवश्यकतानुसार बलों को आवश्यक सलाह प्रदान करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान कोई भी शारीरिक मापदंड परीक्षा (शा.मा.प)/ शारीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प) और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (वि.चि.प)/ पुनः चिकित्सा परीक्षा (पु.चि.प) आयोजित नहीं की गई।

अध्याय - IX

सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

9.1 आयोग में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं।

क. कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन और तंत्र

9.2 आयोग में उप निदेशक (रा.भा.) के प्रभार में पूर्ण हिन्दी अनुभाग है जिन्हें एक सहायक निदेशक (रा.भा.) तथा सहायक कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह अनुभाग राजभाषा विभाग की राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अतिरिक्त सरकारी रिकार्ड / पत्राचार से संबंधित अनुवाद कार्य भी कर रहा है। यह अनुभाग कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण भी करता है।

ख. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

9.3 आयोग में अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में राजभाषा अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए संगत नियमों के तहत कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों की सूचना सभी संबंधितों को दी जाती है तथा उन पर तदनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

ग. हिन्दी में पत्राचार

9.4 आयोग ने अपने दैनन्दिन काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आयोग ने क, ख तथा ग क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और अभ्यर्थियों के साथ हिन्दी में पत्राचार की संख्या को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, हिन्दी में मूल पत्राचार का प्रतिशत काफी बढ़ा है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत उल्लिखित दस्तावेजों जैसे संकल्प, अधिसूचनाएं, नोटिस, प्रेस विज्ञप्ति, नियम और विनियम इत्यादि द्विभाषी रूप से तैयार और जारी किए जाते हैं। परीक्षाओं की सभी विज्ञप्तियां हिन्दी और अंग्रेजी (द्विभाषी) में जारी की जाती हैं। आयोग की वेबसाइट(टों) के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के वेबसाइट को भी अंग्रेजी और हिन्दी में प्रदर्शित किया जाता है।

घ. हिन्दी में प्रशिक्षण

9.5 वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग के 148 अधिकारियों और कर्मचारियों में से, 98 अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में प्रवीणताप्राप्त / कार्यसाधक ज्ञान है। 12 आशुलिपिकों में से 09 आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित किया गया है, जबकि 03 आशुलिपिकों को अभी भी हिन्दी में प्रशिक्षित किया जाना है।

ड. हिंदी पखवाड़ा और प्रोत्साहन योजनाएं

9.6 आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने और अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए 14 सितम्बर, 2018 से 28 सितम्बर, 2018 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान 06 प्रतियोगिताओं जैसे टंकण परीक्षा, हिंदी कहानी लेखन, टिप्पण तथा आलेखन, सामान्य-ज्ञान, हिन्दी निबंध लेखन और वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 65 प्रतिभागी थे, जिनमें 31 प्रतिभागियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कारों के रूप में नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अध्यक्ष, क.च.आ ने समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

च. क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़ा

9.7 यह ध्यान देने योग्य है कि आयोग के सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सितम्बर, 2018 के माह के दौरान हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

9.8 आयोग ने वर्ष 2017-18 के लिए 'क' 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों के लिए राजभाषा शील्ड क्रमशः उप क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश क्षेत्र, रायपुर; क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालय, कर्नाटक केरल क्षेत्र, बेंगलुरु को प्रदान की गई।

9.9 दिनांक 26 जून, 2018 को 'यूनिकोड द्वारा हिन्दी टंकण' विषय पर एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस कार्यशाला में 16 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।

9.10 आयोग में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी काम-काज में मूल रूप से टिप्पण / प्रारूपण करने के लिए नकद पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, हिन्दी श्रुतलेख तथा पिछले वर्ष के दौरान सरकारी काम-काज मूल रूप से हिन्दी में करने की योजना के तहत आठ कार्मिकों को नकद पुरस्कार दिए गए।

9.11 आयोग में हिन्दी के प्रयोग में उत्कृष्ट निष्पादन को मान्यता देने के लिए, आयोग के स्थापना-II अनुभाग को वर्ष 2017-18 के लिए 'राजभाषा चल शील्ड' से सम्मानित किया गया।

छ. राजभाषा निरीक्षण

9.12 राजभाषा नीति का यथोचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आयोग के तीन अनुभागों जैसे नीति एवं योजना-I (नी एवं यो-I), अनुसंधान एवं विश्लेषण (अ.एवं वि.) और गोपनीय-II (गो.-II) का वर्ष 2018-19 के दौरान निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए उचित दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।



परिशिष्ट

कर्मचारी चयन आयोग का गठन करने वाले
संकल्प का मूलपाठ

संख्या 46/1 (एस)/74.स्था.ख
भारत सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नई दिल्ली-110001, दिनांक 04 नवम्बर, 1975

संकल्प

कार्मिक प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् भारत सरकार ने "अधीनस्थ सेवा आयोग की स्थापना" करने का निर्णय लिया है।

2. अधीनस्थ सेवा आयोग का गठन

यह आयोग कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय) का संबद्ध कार्यालय होगा और इसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सचिव सह परीक्षा नियंत्रक होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे। आयोग को केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझे गए सहायक कर्मचारी मुहैया करवाए जाएंगे।

3. कार्य

अधीनस्थ सेवा आयोग भारत सरकार के विभागों में और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी -III गैर तकनीकी पदों पर भर्ती करेगा, इसमें ऐसे पदों की भर्ती शामिल नहीं है जिनकी भर्ती रेलवे सेवा आयोग और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक एवं महालेखाकार और औद्योगिक स्थापनाओं के कार्यालयों में स्टाफ की भर्ती की जाती है। आयोग अन्य कार्यों के साथ अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले पदों पर भर्ती के लिए जब कभी अपेक्षित हो परीक्षाएं आयोजित करेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां तक संभव हो वास्तविक भर्ती क्षेत्रीय आधार पर की जाए ताकि विभिन्न क्षेत्र से योग्य अभ्यर्थियों का संबंधित क्षेत्र में उत्पन्न रिक्तियों में आमेलन किया जा सके। जहां तक संभव होगा परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और सफल उम्मीदवारों को यथासंभव उनके ही राज्य/क्षेत्र में तैनात किया जाएगा।

आयोग विशेष रूप से

- (1) निम्नलिखित के संबंध में अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती हेतु लिपिक श्रेणी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करेगा।
 - (i) भारतीय विदेश सेवा (ख) श्रेणी-IV
 - (ii) रेलवे बोर्ड, सचिवालय लिपिकीय सेवा-श्रेणी-II

- (iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा -अवर श्रेणी ग्रेड
- (iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा-अवर श्रेणी ग्रेड
- (v) संसदीय कार्य विभाग, दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक के पद
- (vi) महानिदेशालय, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ में अवर श्रेणी लिपिक के पद
- (vii) भारत सरकार के अन्य ऐसे विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में शामिल नहीं हैं।

- (2) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी-III में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करेगा।
- (3) निम्नलिखित के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करेगा।
- (i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक ग्रेड की चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए।
 - (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड से उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए।
 - (iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की श्रेणी- III से श्रेणी-II में पदोन्नति के लिए।
- (4) अंग्रेजी तथा हिन्दी में तिमाही तथा मासिक टंकण परीक्षा का आयोजन करेगा।
- (5) भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में संबंधित विभाग की सलाह पर श्रेणी-III गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए योजना तैयार करेगा।
- (6) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अधीनस्थ सेवा और उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, गैर तकनीकी श्रेणी-III के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा।

‘अधीनस्थ सेवा’ शब्द में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में स्वीकृत श्रेणी -III के वे सभी पद शामिल हैं, जिनकी भर्ती अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से की जानी है, परंतु रेलवे सेवा आयोग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा महालेखाकार का कार्यालय द्वारा किए जाने वाले पद इसमें शामिल नहीं होंगे।

तथापि, अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा भर्ती से संबंधित कार्य को सुगमता से संभालने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पहले चरण में आयोग सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान के परीक्षा स्कंध के वर्तमान कार्य का भार संभालेगा। दूसरे चरण में, आयोग दिल्ली में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों और विभागों में श्रेणी-III गैर तकनीकी पदों की भर्ती करेगा, इसमें ऐसे पद शामिल नहीं होंगे जिनकी भर्ती रेलवे सेवा आयोग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और महालेखाकार के कार्यालय और औद्योगिक स्थापनाओं में स्टाफ की भर्ती से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से की जाती है। इसके बाद के चरणों में आयोग दिल्ली से बाहर स्थित अधीनस्थ और अन्य कार्यालय में श्रेणी-III के गैर-तकनीकी पदों की भर्ती संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से करेगा, परंतु इसमें ऐसे पदों की भर्ती शामिल नहीं है जिनकी भर्ती रेलवे सेवा आयोग द्वारा की जाती है और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक एवं महालेखाकार और औद्योगिक स्थापनाओं के कार्यालयों में स्टाफ की भर्ती की जाती है।

4. अध्यक्ष एवं सदस्य के कार्य एवं जिम्मेदारियां

अध्यक्ष

कर्मचारी चयन आयोग के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते अध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा:

- (1) विभागों से श्रेणी -III गैर तकनीकी पदों की संख्या के बारे में पता लगाना जिसके लिए समय-समय पर भर्ती की जानी है।
- (2) विज्ञापन के माध्यम से आवेदनों को आमंत्रित करना।
- (3) विज्ञापन के माध्यम से आवेदनों की संवीक्षा करना।
- (4) प्रतियोगी परीक्षाओं अथवा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार द्वारा अभ्यर्थियों का चयन करना।
- (5) चयनित अभ्यर्थियों के नामों को संबंधित विभाग को भेजना।
- (6) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि संस्तुत करने में विभाग अनु.जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भर्ती के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वाह करने में समर्थ होंगे।
- (7) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई नियुक्तियों का रिकॉर्ड रखना।
- (8) कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रस्तुत करना।
- (9) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उसे सौंपे जाएं।

सदस्य

- (1) जहां कहीं आवश्यक हो, परीक्षाओं और अभ्यर्थियों से साक्षात्कारों के आयोजन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे।
- (2) अन्य ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन, जो अध्यक्ष द्वारा उनको सौंपे जाएं।

5. शक्तियों का प्रत्यायोजन

अधीनस्थ सेवा आयोग का अध्यक्ष 'विभागाध्यक्ष' तथा 'कार्यालय अध्यक्ष' के सचिव की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।

6. कार्यालय की अवस्थिति

अधीनस्थ सेवा आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित होगा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय बाम्बे, कोलकाता, मद्रास तथा इलाहाबाद जैसे अन्य स्थानों पर जहां वह आवश्यक समझता है, खोले जा सकते हैं।

7. आयोग की स्थापना करने और आयोग के कार्य संचालन पर हुए व्यय को पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि आयोग को, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क लगा करके परीक्षाओं को भलीभांति आयोजित करने के उद्देश्य से निधियां एकत्र करने का अधिकार है। ऐसे परीक्षा शुल्क का ब्योरा भारत सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा नियत किया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को दी जाए तथा यह संकल्प भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

ह./-

(पी.एस. महादेवन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं-46/1(एस)/74-स्था(ख)

दिनांक 04 नवम्बर, 1975

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र
3. प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अ.जा. एवं अ.ज.जा. आयुक्त, भाषाई अल्प संख्यक आयुक्त, सभी आंचलिक परिषद, चुनाव आयोग।
4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सीएस-1/सीएस॥/आईईएस/ एवीडी.।/ एवीडी.॥/ एवीडी.।।।/ एवीडी.IV/एआईएसआई/एडी.। अनुभाग और ए.आर. ए.आर. विंग।
6. निदेशक (परीक्षा स्कंध), आई.एस.टी.सी.

ह./-

(आर.सी.गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी :

- i) 26.9.1977 से अधीनस्थ सेवा आयोग का कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामकरण किया गया।
- ii) जो क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी थे, उन्हें प्रारंभ में परीक्षा नियंत्रक कहा जाता था। उनको बाद में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया।
- iii) मूल संकल्प सं. 46/1(एस)/74-स्था (ख), दिनांकित 4.11.1975 को अब तक छह बार संशोधित किया गया है।
 - (क) संकल्प संख्या 24012/42/78-स्था. (ख) दिनांक 17.3.79
 - (ख) संकल्प संख्या 24012/31/85-स्था. (ख) दिनांक 7.9.89
 - (ग) संकल्प संख्या 39018/1/98-स्था. (ख) दिनांक 21.5.1999
 - (घ) संकल्प संख्या 24012/8-ए/2003-स्था. (ख) दिनांक 13.11.2003
 - (ङ.) संकल्प संख्या 24012/8-ए/2003-स्था.(ख) दिनांक 29.9.2005
 - (च) संकल्प संख्या 39018/01/1998-स्था.(ख) खंड-॥ दिनांक 14.01.2011

सं-39018/1/98-स्था।(ख)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 21 मई, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

1. पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय-17 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यभार में कमी करने की सिफारिश की है जिससे आयोग ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दे सके और इस संदर्भ में कतिपय विशेष सुझाव दिए हैं। इससे पूर्व गृह मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज पर 1994 में प्रस्तुत अपनी बीसवीं रिपोर्ट में सरकार से कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने को कहा है जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से समाप्त किया जा सके ताकि उनका कार्यभार कम हो सके। विगत समय में आयोग ने भी सरकार पर संगत भर्ती नियमों में संशोधन करने हेतु दबाव डाला था ताकि समूह 'ख' अराजपत्रित पदों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग से इतर अभिकरणों द्वारा की जा सके।
2. इस परिप्रेक्ष्य में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के उपबंधों एवं अन्य संगत आदेशों की समीक्षा की गयी ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से समाप्त किया जा सके। ऐसी समीक्षा के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि:
 - (क) ऐसी समूह 'ख' सेवा या पदों पर सीधी भर्ती करते समय, जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा 10,500/-रुपये से कम है, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसे पदों पर सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी।
 - (ख) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 'क' और 'ख' सेवा या पदों के लिए सीधे भर्ती किए गए किसी व्यक्ति के समूह 'क' या समूह 'ख' या पद पर मूल नियुक्ति या स्थायीकरण हेतु विभागीय-प्रोन्नति समिति के कार्यवृत्त की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुनरीक्षण की प्रक्रिया समाप्त की जाएगी।
 - (ग) समूह 'क' सेवा या पद वाले किसी अधिकारी की चयन-सह-वरिष्ठता पर किसी समूह 'क' सेवा या पद पर पदोन्नति करते समय, जिसके वेतनमान की अधिकतम सीमा 16,500/-रुपये से कम है, संघ लोक सेवा आयोग को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, समूह 'ख' अधिकारी को समूह 'क' के निम्नतम पद पर पदोन्नत करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
3. उपर्युक्त निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भर्ती नियमों के संगत उपबंधों में संशोधन करने हेतु विस्तृत (अम्ब्रेला) अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उक्त अधिसूचना की प्रति सूचनार्थ संलग्न है। संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 एवं कर्मचारी चयन आयोग के कार्यो को निर्धारित करने वाले दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प के संशोधन भी साथ-साथ जारी किए जा रहे हैं।
4. भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संदर्भ में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर/-
निदेशक

सेवा में,

मानक सूची के अनुसार सभी मंत्रालय/विभाग
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं. 39018/1/98-स्था.(ख)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 21 मई, 1999

संकल्प

सं. 39018/1/98-स्था.(ख) - भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवंबर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1/(एस)/74-स्था. (ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से एक आयोग का गठन किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है और यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग से समूह 'ख' के सभी पदों पर भर्ती संबंधी कामकाज अपने हाथ में ले लेगा जिनके वेतनमान अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो। तदनुसार, और राधेश्याम बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 1 जून, 1999 से कर्मचारी चयन आयोग के गठन और कार्य निम्नानुसार होंगे:-

1. कर्मचारी चयन आयोग का गठन

- (i) भारत सरकार के पूर्ववर्ती कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1 (एस)/74-स्था (ख) का अधिक्रमण करते हुए और अधिक्रमण से पहले की गई संबंधित बातों अथवा ऐसी बातों जिन्हें किया जाना छोड़ दिया गया के सिवाय, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के नाम से एक आयोग स्थापित करती है जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय होगा और इसमें एक अध्यक्ष, दो सदस्य और एक सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे।
- (ii) आयोग को उतने सहायक कर्मचारी मुहैया करवाए जाएंगे जितने कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

2. कार्य

- (1) कर्मचारी चयन आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा-

- (क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ख' के उन सभी पदों, जिनके वेतनमानों का अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो, और (ii) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में गैर-तकनीकी समूह 'ग' के उन पदों को छोड़कर जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हों, सभी पदों पर भर्ती करेगा।

(ख) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले पदों पर भर्ती करने के लिए परीक्षाएं और/अथवा जब कभी अपेक्षित हों, साक्षात्कार आयोजित करेगा। जहां तक संभव होगा, परीक्षाएं विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी और सफल अभ्यर्थियों को यथासंभव उनके ही राज्य/क्षेत्र में तैनात किया जाएगा।

आयोग विशेषतः

(क) निम्नलिखित की भर्ती के संबंध में प्रतियोगी परीक्षाएं संचालित करेगा:-

- (i) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में भाग ले रहे कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती।
- (ii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'घ' आशुलिपिक के पदों और भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में समतुल्य ग्रेडों में तथा उपर्युक्त सेवाओं में भाग नहीं ले रहे भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित अन्य विभागों में आशुलिपिकों के पदों पर भर्ती।
- (iii) भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों समेत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भाग ले रहे कार्यालयों में सहायकों के पदों पर भर्ती।
- (iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के विभिन्न समाहर्तालयों (कलेक्टरेटों) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक, आयकर आयुक्तों के विभिन्न प्रभागों के अन्तर्गत आयकर निरीक्षक, विभिन्न सीमा शुल्क, कार्यालयों में निवारक अधिकारी और परीक्षक, प्रवर्तन निदेशालय में सहायक प्रवर्तन अधिकारी, दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवाओं के ग्रेड-II पदों पर भर्ती।
- (v) दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय पुलिस संगठनों में उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती।
- (vi) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में अन्य लेखा विभागों के अन्तर्गत प्रभागीय लेखाकार, लेखा-परीक्षक और लेखाकार तथा भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों पर भर्ती।

(ख) निम्नलिखित के लिए विभागीय परीक्षाएं आयोजित करेगा:-

- (i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में समूह 'घ' के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में और भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में समतुल्य ग्रेडों में पदोन्नति।

- (ii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड से उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में और भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में समतुल्य ग्रेडों में पदोन्नति।
- (iii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'घ' आशुलिपिक से आशुलिपिक ग्रेड 'ग' में और भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में समतुल्य ग्रेडों में पदोन्नति।
- (ग) अंग्रेजी एवं हिन्दी में आवधिक टंकण परीक्षण का संचालन।
- (घ) समूह 'ख' के उन सभी पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो, तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा इनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में संबंधित विभागों के साथ परामर्श करके समूह 'ग' के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए योजनाएं तैयार करना।
- (ङ) समूह 'ख' के उन सभी पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो, तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा इनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ग' के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट परीक्षाएं/चयन संचालित करना।
- (च) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करना।

3. अध्यक्ष एवं सदस्यों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व

(क) अध्यक्ष

अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के प्रशासनिक प्रधान होने के नाते निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे:

- (1) समूह 'ख' के पदों जिनका अधिकतम वेतनमान 10,500/- रुपये से कम हो तथा समूह 'ग' के सभी गैर-तकनीकी पद जिन पर भर्ती की जानी है, की रिक्तियां जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं, की संख्या के बारे में विभागों से पता लगाना, प्रतियोगी परीक्षाओं/साक्षात्कार के माध्यम से उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करना, सूचित की गई रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए चयन किए गए अभ्यर्थियों को अनुशंसित करना और की गई नियुक्तियों का रिकॉर्ड रखना।
- (2) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- (3) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करना।

सदस्य:

सदस्य द्वारा:

- 1) जहां कहीं आवश्यक हो अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के आयोजन में अध्यक्ष की सहायता की जाएगी।
- 2) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन किया जाएगा जो उन्हें अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं।

4. शक्तियों का प्रत्यायोजन:

कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए, अध्यक्ष 'विभागाध्यक्ष' और सचिव 'कार्यालयाध्यक्ष' के रूप में सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

5. कार्यालय का स्थान

कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। वर्तमान में कार्यरत आयोग के क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान परिशिष्ट-1 में दिया गया है। आयोग ऐसे अन्य स्थानों, जहां वह आवश्यक समझे, पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से और भी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकता है।

6. आयोग के किसी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने और आयोग के कामकाज में होने वाला सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, विभिन्न परीक्षाओं/चयन के आयोजनों के लिए अभ्यर्थियों से शुल्क एकत्रित करने का आयोग को अधिकार है। आयोग द्वारा भारत सरकार के परामर्श से ऐसे शुल्क के संबंध में ब्योरा निर्धारित किया जाएगा।

(हस्ताक्षर/-)

श्रीमती भवानी त्यागराजन
निदेशक

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को दी जाए तथा यह भी कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(हस्ताक्षर/-)

निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली

सं. 39018/1/98-स्था.(ख)

नई दिल्ली, 21 मई, 1999

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/लोकसभा, राज्यसभा सचिवालय/ उच्चतम न्यायालय/ केन्द्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/अ.जा./अ.ज.जा. आयुक्त/ भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त/सभी आंचलिक परिषद/चुनाव आयोग/सभी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण।
4. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
5. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
6. सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय एवं कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अनुभाग।

(भारत सरकार के राजपत्र भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2003

संकल्प

सं 24012/8क/2003-स्था. (ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था. (ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के रूप के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है और राधेश्याम बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) के तहत भी 1 जून, 1999 से संशोधन किया गया।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थात:-

(क) दिनांक 21.5.1999 के संकल्प के पैरा 2(1) में उप-पैरा (ख) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा अर्थात:-

"(ग) अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक/लेखा परीक्षा) के पद पर और 6500-10500/- रुपये के वेतनमान वाले सभी अराजपत्रित पदों पर भी भर्ती करना।"

हस्ताक्षर/-
निदेशक

पाद-टिप्पणी :- मूल संकल्प दिनांक 24 मई, 1999 के असाधारण राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में सं. 39019/1/98-स्था. (ख) के तहत प्रकाशित किया गया।

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली

(भारत सरकार के राजपत्र भाग-1खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2005

संकल्प

सं 24012/8-क/2003-स्था. (ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था. (ख) दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है और राधेश्याम बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) के तहत भी 1 जून, 1999 से संशोधन किया गया।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थात:-

क) दिनांक 21.5.1999 के संकल्प के पैरा 2(1) में और जिसे दिनांक 13.11.2003 के तहत संशोधन किया गया है, उप-पैरा (ख) के पश्चात् विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा अर्थात: “(ग) 6500-10,500/- रुपये के वेतनमान वाले सभी अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करना।”

हस्ता./-

(श्रीमती शुभा ठाकुर)

अवर सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पणी : मूल संकल्प दिनांक 24 मई, 1999 के असाधारण राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में सं. 39018/1/98-स्था. (ख) के तहत प्रकाशित किया गया था और दिनांक 22.11.2003 के सं. 24012/8-क/2003-स्था.(ख) के तहत संशोधित किया गया था।

सं. 24012/8-क/2003-स्था.(ख)

दिनांक 29 सितम्बर, 2005

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली

प्रतिलिपि अग्रेषित :

- क. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- ख. विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- ग. विधायी विभाग, (रा.भा.स्कंध), भगवान दास रोड, नई दिल्ली।
- घ. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर, हाउस, नई दिल्ली।
- ड. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली।
- च. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के सभी अनुभाग/अधिकारी
- छ. वेबसाइट कक्ष, रा.सू.के., कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- ज. सुविधा केन्द्र, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 20 अतिरिक्त प्रतियां।
- झ. गार्ड फाइल।
- ञ 50 अतिरिक्त प्रतियां।

(श्रीमती शुभा ठाकुर)
अवर सचिव, भारत सरकार

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2011

संकल्प

सं. 39018/1/1998-स्था. (ख)-खंड-II-भारत सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अपने दिनांक 4 नवंबर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1/(एस)/74-स्था. (ख) के तहत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न श्रेणी-III (अब समूह 'ग') गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती करने के लिए अधीनस्थ सेवा आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। आयोग के कार्य 6500-10500/-रूपए के वेतनमान वाले समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती को शामिल करने के लिए समय-समय पर बढ़ाए गए थे। दिनांक 1.1.2006 से वेतनमान में संशोधन और सरकार के अधीन सभी सिविल पदों का पुनर्वर्गीकरण होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 9 अप्रैल, 2009 के आदेश संख्या का.आ. 946 (अ.) के तहत आयोग के कार्य और भूमिका को पुनः परिभाषित करना आवश्यक हो गया है। अतः दिनांक 4 नवंबर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1/(एस)/74-स्था. (ख) और इस विषय पर उसके उत्तरवर्ती संकल्पों के अधिक्रमण में, कर्मचारी चयन आयोग का गठन और कार्य तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित प्रकार से होगा:-

1. कर्मचारी चयन आयोग का गठन

- (i) ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई संबंधित बातों अथवा ऐसी बातें जिन्हें किया जाना छोड़ दिया गया हो, के सिवाय, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के नाम से एक आयोग स्थापित करती है जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। आयोग को एक सचिवालय द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी जिसकी अध्यक्षता एक सचिव, जो परीक्षा नियंत्रक भी होगा, द्वारा की जाएगी तथा अन्य सहयोगी अधिकारी व कर्मचारी भी, जैसा केन्द्रीय सरकार समय-समय पर आवश्यक समझे, उनका सहयोग करेगी।
- (ii) यह आयोग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय होगा और सरकार के दिशा-निर्देशों, सलाह और नीतियों के अधीन कार्य करेगा।

2. कार्य

कर्मचारी चयन आयोग :-

- (क) (i) भारत सरकार और उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के वेतन बैंड-1 और वेतन बैंड-2 के 4600 रू. तक के ग्रेड वेतन वाले समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों के, उन पदों को छोड़कर जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हों, सभी पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती करेगा।
- (ii) रू. 4600/-तक के ग्रेड वेतन वाले वेतन बैंड-2 एवं वेतन बैंड-1 में भारत सरकार के ऐसे पदों, जिनके लिए आयोग के विवेक पर पहले शॉर्टलिस्ट कर दिया गया हो या कौशल परीक्षण ले लिया गया हो, साक्षात्कारों के जरिए चयन द्वारा भर्ती करेगा।

- (iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय/आशुलिपिकीय सेवाओं या इस प्रकार की अन्य सेवाओं, जो आयोग को सौंपी गई हैं अथवा सौंपी जा सकती हैं, के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करेगा।
- (iv) अंग्रेजी/हिंदी में आवधिक कौशल परीक्षण और अन्य ऐसे कौशल परीक्षण, जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं, संचालित करेगा।

(ख) अन्य ऐसे कार्य करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इसको सौंपे जाएंगे।

2. अध्यक्ष एवं सदस्यों की शक्तियां, कार्य एवं जिम्मेदारियां

(क) अध्यक्ष

कर्मचारी चयन आयोग का प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते अध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा:-

- (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षित रिक्तियों सहित पदों की प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों को निर्धारित करना, जिसके लिए आयोग को भर्ती करने, प्रतियोगी परीक्षाओं/साक्षात्कारों के जरिए समुचित अभ्यर्थियों का चयन करने, सूचित रिक्तियों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों की अनुशंसा करने तथा की गई नियुक्ति का अभिलेख रखने का अधिदेश है।
- (ii) आयोग के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत करना।
- (iii) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(ख) सदस्य

सदस्य निम्नलिखित कार्य करेंगे:-

- (i) जहां कहीं आवश्यक हो परीक्षाओं और अभ्यर्थियों के साक्षात्कारों के आयोजन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे।
- (ii) अन्य ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन, जो अध्यक्ष द्वारा उनको सौंपे जाएं।

4. शक्तियों का प्रत्यायोजन

आयोग के कार्यों का निर्वहन करने में, अध्यक्ष 'विभागाध्यक्ष' की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा आयोग में एक या अधिक अधिकारियों को कार्यालयाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा।

5. कार्यालय की अवस्थिति

कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा, इसमें आयोग के वे क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो पहले से कार्य कर रहे हैं। आयोग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से ऐसे अन्य स्थानों पर, जहां वह आवश्यक समझता है (केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से), आयोग के और भी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकता है।

6. आयोग के किसी भी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने और आयोग की कार्यप्रणाली पर हुए व्यय को पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आयोग विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के लिए अभ्यर्थियों से उतना शुल्क वसूल करेगा, जितना कि भारत सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा नियत किया जाए।

हस्ता./-
(सुश्री ममता कुन्द्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को संप्रेषित की जाए और यह भी कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हस्ता./
(सुश्री ममता कुन्द्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली

(भारत सरकार के राजपत्र भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2012

संकल्प

सं. 24012/29/2011-स्था. (ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था. (ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन के संबंध में दिनांक 14.1.2011 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) -खंड-II के तहत आगे संशोधन किया गया था।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 14.1.2011 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) -खंड-II में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थात् :-

(क) दिनांक 14.1.2011 के संकल्प के पैरा 2 क (i) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-

“पैरा 2 क (i) भारत सरकार और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के वेतन बैण्ड-1 और वेतन बैण्ड 2 के 4800 रु तक के ग्रेड वेतन वाले समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह (ग) (गैर तकनीकी) पदों के, उन पदों को छोड़कर जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हों, सभी पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती करेगा।

(ख) दिनांक 14.1.2011 के संकल्प के पैरा 2 क (ii) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात्-

“पैरा 2क (ii) 4800-/- रूपए तक के ग्रेड वेतन वाले वेतन बैण्ड-2 एवं वेतन बैण्ड-1 में भारत सरकार के अधीन ऐसे अराजपत्रित पदों, जिनके लिए आयोग के विवेक पर पहले शार्टलिस्ट कर दिया गया हो या कौशल परीक्षण ले लिया गया हो, साक्षात्कारों के जरिए चयन द्वारा भर्ती करेगा।

ह0/-

(यू.एस. चट्टोपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी :- मूल संकल्प दिनांक 17 जनवरी, 2011 के असाधारण राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में सं. 39018/ 1/98-स्था. (ख) के तहत प्रकाशित किया गया।

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली

(भारत सरकार के राजपत्र भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2016

संख्या 39018/01/2012-स्था (ख)भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 04 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था(ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 14.01.2011 के खण्ड II के संकल्प सं 39018/1/98- स्था.(ख) तथा दिनांक 24.07.2012 के संकल्प संख्या 24012/29/2011-स्था (ख) के तहत आगे संशोधित किया गया था।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 24.07.2012 के संकल्प संख्या 24012/29/2011-स्था (ख) के साथ पठित दिनांक 14.01.2011 के संकल्प संख्या 39018/1/98-स्था.(ख) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थात:-

दिनांक 14.01.2011 के संकल्प के पैरा 2 क में निम्नलिखित नई प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात:-

"पैरा 2 क (V)" भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर वेतन बैंड 2, रू. 9300-34800 तथा ग्रेड वेतन 4800/- रू. में समूह 'ख' (राजपत्रित) की सीधी भर्ती करेगा।

हस्ता / -

(डॉ देवेश चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव , भारत सरकार

टिप्पणी: - मूल संकल्प दिनांक 17 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-1 खण्ड-1 में सं 39018/01/ 98-स्था. (ख) के तहत प्रकाशित किया गया।

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली।

सं 39018/01/2012-स्था.(ख)

दिनांक: 17.02.2016

प्रतिलिपि अग्रेषित: -


1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग
2. सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धोलपुर हाउस, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय कार्यालय परिसर, नई दिल्ली।
5. स्था (आरआर) डेस्क, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- अनुरोध है कि इस सरकारी संकल्प को "राजपत्र अधिसूचना" शीर्षक के रूप में इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. गार्ड फाइल
8. 10 अतिरिक्त प्रतियां।

हस्ता / -

(मुकेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

विनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग का संगठनात्मक चार्ट



कर्मचारी चयन आयोग
मुख्यालय कार्यालय

क)	अध्यक्ष	श्री अशीम खुराना
	सदस्य	श्री संजय वर्मा
	सदस्य	रिक्त
ख)	<u>क्षेत्रीय कार्यालय</u>	<u>(क्षेत्रीय निदेशक)</u>
	मध्य क्षेत्र	श्री राहुल कुमार सचान
	पूर्वी क्षेत्र	श्रीमती प्रियंका बासु इंग्टी
	केरल कर्नाटक क्षेत्र	श्रीमती विजयालक्ष्मी पी. बिदारी
	उत्तरी क्षेत्र	श्री गजेंद्र सिंह ठाकुर
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	श्री नागाचान जिमिक
	दक्षिण क्षेत्र	श्री के. नागराजा
	पश्चिमी क्षेत्र	डॉ. (श्रीमती) वाणी आनंद
	<u>उप-क्षेत्रीय कार्यालय</u>	<u>(उप निदेशक)</u>
	मध्य प्रदेश क्षेत्र	श्री वी.एम. पटवा
	पश्चिमोत्तर क्षेत्र	श्री रैन मिश्रा

कर्मचारी चयन आयोग के माननीय अध्यक्षों की सूची
(01.07.1976 से)

क्रम सं.	नाम	से	तक
1.	श्री सईद हामिद	01.07.1976	16.06.1980
2.	श्रीमती इंद्रजीत कौर	10.07.1980	10.07.1985
3.	श्री एस.सी.मित्तल	23.07.1985	23.07.1990
4.	श्री एस.एन. बाज्जे	23.07.1990	12.07.1994
5.	श्री बी. शंकरन	28.11.1994	09.11.1998
6.	श्री के.एम. लाल	11.01.1999	21.06.2002
7.	श्री बी.के. मिश्रा	24.06.2002	19.10.2004
8.	श्री प्रकाश चन्दर*	20.12.2004	23.11.2005
9.	श्री आई.एम.जी खान**	28.11.2005	12.01.2006
10.	श्री ब्रह्म दत्त**	13.01.2006	30.10.2006
11.	डॉ (श्रीमती) सी.टी. मिश्रा	30.10.2006	27.10.2008
12.	श्रीमती विभा पुरी दास**	29.10.2008	23.04.2009
13.	श्री एन.के. रघुपति	24.04.2009	02.03.2013
14.	श्री ए. भट्टाचार्य	20.03.2013	02.12.2015
15.	श्री अशीम खुराना	09.12.2015	अब तक

* कार्यकारी अध्यक्ष

** अतिरिक्त प्रभार

कर्मचारी चयन आयोग के माननीय सदस्यों की सूची
(01.07.1976 से)

क्रम नं.	नाम	से	तक
1.	श्री एच.एन. त्रिवेदी	01.11.1976	31.12.1979
2.	श्री अमर सिंह	07.01.1980	19.12.1982
3.	श्री बी.आर.आर. अयंगर	08.03.1983	07.03.1988
4.	श्री एन.के. अग्रवाल	17.07.1986	16.07.1991
5.	श्री एस.एन.बाज्जे	11.01.1989	22.07.1990
6.	श्री ए.जयरमन	10.10.1990	09.10.1995
7.	श्री ए.के. सिंघल	01.12.1991	11.01.1993
8.	श्री गुरबचन सिंह	05.01.1996	04.01.2001
9.	श्री एस.एस.रॉय	16.03.1998	04.08.1998
10.	श्री डी.एस.मुखोपाध्याय	25.02.1999	15.11.2000
11.	श्री आर.के. टंडन	30.03.2001	24.01.2004
12.	श्री प्रकाश चन्द्र	16.08.2001	15.08.2006
13.	श्रीमती प्रतिभा मोहन	08.10.2004	07.10.2009
14.	श्री वी.कण्णन	05.05.2008	20.07.2011
15.	श्री एस.के. लोहनी	12.10.2009	11.10.2010
16.	डॉ.देव दत्त शर्मा	25.01.2012	06.03.2014
17.	श्री संजय विक्रम सिंह	20.06.2011	19.06.2016
18.	श्री सी.पी.जैन	07.03.2014	15.12.2016
19.	श्री मनोज कुमार पांडे	15.07.2016	15.03.2019
20.	श्री संजय वर्मा	21.06.2018	अब तक

विभिन्न पदों के नाम / वेतन स्तर

क्र. सं	पद का नाम	वेतन स्तर (7 वे सीपीसी रिपोर्ट के अनुसार)
1.	अध्यक्ष	स्तर-16/15
2.	सदस्य	स्तर -14
3.	सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक	स्तर -13
4.	निदेशक	स्तर -13
5.	उप सचिव	स्तर -12
6.	क्षेत्रीय निदेशक	स्तर -12
7.	अवर सचिव /उप निदेशक	स्तर -11
8.	प्रधान निजी सचिव	स्तर -11
9.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	स्तर -10
10.	लेखा अधिकारी	स्तर -8
11.	प्रोग्रामर	स्तर -7
12.	अनुभाग अधिकारी /सहायक निदेशक	स्तर -8
13.	निजी सचिव /आशुलिपिक श्रेणी क+ ख	स्तर -8
14.	डी.पी.ए (श्रेणी-ख)	स्तर -7
15.	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	स्तर -7
16.	सहायक अनुभाग अधिकारी	स्तर -7
17.	आशुलिपिक श्रेणी "ग"	स्तर -7
18.	लेखाकार	स्तर -6

19.	अनुसंधान सहायक श्रेणी-I	स्तर -6
20.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	स्तर -6
21.	डी.पी.ए (श्रेणी-क)	स्तर -6
22.	डीईओ (श्रेणी "ग") /प्रबंधक (कैंटीन)	स्तर -6
23.	अनुसंधान सहायक श्रेणी-II	स्तर -5
24.	पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी-II	स्तर -5
25.	डीईओ (श्रेणी "ख")	स्तर -5
26.	केयरटेकर	स्तर -5
27.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक./आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	स्तर -4
28.	डीईओ (श्रेणी "क") /सहायक प्रबंधक-सह- भंडारी	स्तर -4
29.	हलवाई-सह-रसोइया	स्तर -3
30.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक./लिपिक (कैंटीन)	स्तर -2
31.	स्टॉफ कार ड्राइवर/सहायक हलवाई-सह-रसोइया	स्तर -2
32.	एम.टी.एस	स्तर -1
33.	कैंटीन परिचारक	स्तर -1

टिप्पणी : संयुक्त निदेशक (पू.क्षे.), संयुक्त निदेशक (अनु.एवं वि.), उप निदेशक (मुख्यालय), वित्त एवं बजट अधिकारी तथा अनुसंधान अधिकारी श्रेणी-II के पदों को इस विवरण में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि आयोग में ये पद पिछले 10-13 वर्षों से खाली पड़े हैं।

कर्मचारी चयन आयोग

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग की स्टाॅफ संख्या

समूह - क

क्रम सं	पद का नाम	मु.	उ. क्षेत्र.	म. क्षेत्र.	प. क्षेत्र.	पू. क्षेत्र.	पूर्वो क्षेत्र.	द. क्षेत्र.	म.प्र. क्षेत्र.	के.क. क्षेत्र.	पश्चि. क्षेत्र.	योग
1.	अध्यक्ष	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
2.	सदस्य	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
3.	सचिव सह परीक्षा नियंत्रक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
4.	निदेशक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
5.	उप सचिव	04	-	-	-	-	-	-	01	-	01	06
6.	संयुक्त निदेशक (ईआर)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
7.	संयुक्त निदेशक (आरएँडए)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
8.	वित्त एवं बजट अधिकारी	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
9.	क्षेत्रीय निदेशक	-	01	01	01	01	01	01	-	01	-	07
10.	उप निदेशक	01	-	04	02	03	02	02	01	01	01	17
11.	उप निदेशक (अनु. एवं वि.)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
12.	उप निदेशक (रा. भा.)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
13.	अवर सचिव	17	03	-	-	-	-	-	-	-	-	20
14.	उप निदेशक (ईडीपी)	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
15.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	01										01
16.	प्रधान निजी सचिव	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03
	योग	38	04	05	03	04	03	03	02	02	02	66

समूह 'ख'

क्रम सं	पद का नाम	मु.	उ. क्षेत्र.	म. क्षेत्र.	प. क्षेत्र.	पू. क्षेत्र.	पूर्वो क्षेत्र.	द. क्षेत्र.	म.प्र. क्षेत्र.	के.क. क्षेत्र.	पश्चि. क्षेत्र.	योग
17.	लेखा अधिकारी	-	01	01	01	01	01	-	-	-	-	05
18.	अनुसंधान अधिकारी ग्रेड-II	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
19.	अनुभाग अधिकारी/सहायक निदेशक	29	09	08	06	08	04	04	03	04	03	78
20.	सहायक निदेशक (रा. भा.)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
21.	निजी सचिव (आशुलिपिक श्रेणी क+ख विलय)	08	01	01	01	01	01	01	01	01	01	17

कर्मचारी चयन आयोग

22.	प्रोग्रामर	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
23.	डीपीए श्रेणी ख	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04
24.	लेखाकार	01	-	01	01	01	01	01	01	01	01	09
25.	सहायक अनुभाग अधिकारी	40	10	09	08	07	03	07	03	05	03	95
26.	आशुलिपिक श्रेणी "ग"	09	-	-	01	-	01	01	01	01	01	15
27.	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
28.	अनुसंधान सहायक श्रेणी- I	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
29.	कैंटीन प्रबंधक श्रेणी-II	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
	योग	99	21	20	18	18	11	14	09	12	09	231

समूह 'ग'

क्रम सं.	पद का नाम	मु.	उ. क्षे.	म. क्षे.	प. क्षे.	पु. क्षे.	पूर्वो. क्षे.	द. क्षे.	म.प्र. क्षे.	के.क. क्षे.	पश्चि. क्षे.	योग
30.	अनुसंधान सहायक श्रेणी- II	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03
31.	डीपीए श्रेणी "क"	11	03	-	-	-	-	-	-	-	-	14
32.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	01	01	01	01	01	01	01	-	01	-	08
33.	पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी-II	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
34.	डीईओ (श्रेणी "ग")	03	02	-	-	-	-	-	-	-	-	05
35.	डीईओ (श्रेणी "ख")	07	01	-	-	-	-	-	-	-	-	08
36.	केयरटेकर	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
37.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	08	01	01	01	01	01	01	-	01	01	16
38.	आशुलिपिक श्रेणी "घ"	09	01	02	01	02	01	01	01	01	01	20
39.	डीईओ(श्रेणी "क")	09	01	02	03	01	01	02	01	01	01	22
40.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	10

कर्मचारी चयन आयोग

41.	स्टॉफ कार ड्राइवर	02	01	01	01	01	01	01	01	01	-	10
42.	एमटीएस	40	09	09	09	11	05	12	05	07	05	112
43.	सहायक प्रबंधक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
44.	कूपन लिपिक	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
45.	हलवाई-सह-रसोइया	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
46.	सहायक रसोइया	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
47.	कैंटीन परिचारक	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08
	योग	110	21	17	17	18	11	19	09	13	09	244

समूह/ श्रेणी-वार संस्वीकृत संख्या

समूह	मु.	क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय	योग
समूह "क"	38	28	66
समूह "ख"	99	132	231
समूह "ग"	110	134	244
योग	247	294	541

कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय

क्षेत्र/उप क्षेत्र	स्थापना की तारीख
उत्तरी क्षेत्र (नई दिल्ली)	01.07.1976 (26.09.1979)*
दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नई)	14.11.1977
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	27.12.1977
मध्य क्षेत्र (प्रयागराज)	31.12.1977
पश्चिमी क्षेत्र (मुम्बई)	10.01.1978
मध्य प्रदेश क्षेत्र (रायपुर)	01.01.1980
पूर्वोत्तर क्षेत्र (गुवाहाटी)	07.02.1981
केरल कर्णाटक क्षेत्र (बेंगलुरु)	01.03.1990
पश्चिमोत्तर क्षेत्र (चंडीगढ़)	16.11.1996

* 26.09.1979 को पृथक क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया ।

कर्मचारी चयन आयोग

परिशिष्ट -घ-1

क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय एवं उनके कार्यक्षेत्र

क्षेत्र	क्षेत्रीय मुख्यालय	पता	क्षेत्र में आने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की दूरभाष संख्या
क्षेत्रीय कार्यालय				
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली	कर्मचारी चयन आयोग, उत्तरी क्षेत्र, ब्लॉक संख्या-12 केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड	हेल्पलाइन नं. 011-24367526 011- 24363343 011-24360944 (फैक्स)
मध्य क्षेत्र	प्रयागराज	कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र) 21-23, लाउदर रोड, प्रयागराज - 211 002.	बिहार तथा उत्तर प्रदेश	हेल्पलाइन नं. 0532-24060000/ 9452424060 0532 -2970492 (फैक्स)
पूर्वी क्षेत्र	कोलकाता	कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वी क्षेत्र) निजाम पैलेस, प्रथम एमएसओ भवन, (8वां तल), 234/4, एजेसी बोस रोड, कोलकाता - 700020	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	033-22902230, 033-22904424 (फैक्स) हेल्पलाइन नं. 9477461228, 9477461229
पूर्वोत्तर क्षेत्र	गुवाहाटी	कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वोत्तर क्षेत्र) हाउस फेड कांप्लेक्स, लास्ट गेट, बशिष्ट रोड, दिसपुर, गुवाहाटी - 781006.	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा त्रिपुरा	0361-2228929 0361-2224779 (फैक्स) हेल्पलाइन नं. 9085015252, 9531456804
पश्चिमी क्षेत्र	मुम्बई	कर्मचारी चयन आयोग (पश्चिमी क्षेत्र) प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन (पुराना सीजीओ बिल्डिंग) 101, एम.के.रोड, मुम्बई - 400020	गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा दमन,दीव,दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	022-22019118, 22018527 22018521, 23646033 22018866, 20821040 हेल्पलाइन नं.9869730700, 7738422705
दक्षिणी क्षेत्र	चेन्नई	कर्मचारी चयन आयोग (दक्षिणी क्षेत्र) इवीके सम्पथ विल्डिंग, द्वितीय तल, कॉलेज रोड, चेन्नई - 600006	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	हेल्पलाइन नं. 044-28251139 9445195946
केरल कर्नाटक क्षेत्र	बेंगलुरु	कर्मचारी चयन आयोग (केरल कर्नाटक क्षेत्र) केन्द्रीय सदन, ई-विंग, कोरमंगला, बंगलुरु - 560034	कर्णाटक, केरल तथा लक्ष द्वीप संघ राज्य क्षेत्र	हेल्पलाइन नं. 080-25502520(कन्नड़) 09453862020 (मलयालम)
उप क्षेत्रीय कार्यालय				
मध्य प्रदेश क्षेत्र	रायपुर	कर्मचारी चयन आयोग (म.प्र. क्षेत्र) जे-5, अनुपम नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007.	मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़	0771-2282678 (फैक्स) 0771- 2282507
पश्चिमोत्तर क्षेत्र	चंडीगढ़	कर्मचारी चयन आयोग (पश्चिमोत्तर क्षेत्र) ब्लॉक सं- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर - 9, चंडीगढ़ - 160017	हिमचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	0172-2749378 0172-2742144 (फैक्स) हेल्पलाइन नं.0172-2744366

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक समूह "ख" पदों के लिए भर्ती

क्षेत्र का नाम	आवेदनों की संख्या							चयनित अभ्यर्थियों की संख्या						
	अना.	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	1405	1716	147	2100	90	00	5368	02	00	00	01	00	00	03
पू.क्षे.	4310	2824	854	2908	112	259	10896	13	02	04	10	00	00	29
के.क.क्षे.	354	408	128	647	73	88	1537	04	01	01	02	00	00	08
म.प्र.क्षे.	712	297	164	585	00	00	1758	02	00	00	00	00	00	02
उ. क्षे.	8516	5383	1852	5665	206	334	21416	71	38	04	76	00	02	189
पूर्वो.क्षे.	343	260	437	311	14	22	1351	05	01	02	02	00	00	10
पश्चिमो. क्षे.	6731	4169	907	5916	68	218	17723	06	01	01	02	00	00	10
द.क्षे.	2840	1924	769	3691	29	216	9224	04	00	00	00	00	00	04
प.क्षे.	742	1219	250	839	11	88	3050	19	03	01	09	00	00	32
योग	25953	18200	5508	22662	603	1225	72323	126	46	13	102	00	02	287

* भूपूसै एवं शा.दि. अभ्यर्थियों को उनकी मूल श्रेणी में शामिल किया गया है।

दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक समूह "ग" पदों के लिए भर्ती

क्षेत्र का नाम	आवेदनों की संख्या							चयनित अभ्यर्थियों की संख्या						
	अना.	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग	अना.	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	374	448	35	501	10	00	1358	11	02	01	08	00	00	22
पू.क्षे.	20897	25095	9508	22213	1115	987	77713	42	07	08	29	00	03	86
के.क.क्षे.	2718	2632	764	3647	229	376	9761	18	02	01	05	00	01	26
म.प्र.क्षे.	783	1193	440	1717	00	00	4133	04	00	02	01	00	00	07
उ. क्षे.	24334	27086	13113	31452	838	2239	95985	09	02	00	04	00	01	15
पूर्वो.क्षे.	410	506	628	561	22	68	2105	01	00	00	01	00	00	02
पश्चिमो. क्षे.	3418	5855	751	4074	56	439	14098	30	14	03	04	00	00	51
द.क्षे.	1746	3035	1220	3522	258	28	9523	25	02	00	14	00	00	41
प.क्षे.	628	1166	405	1286	97	39	3485	16	06	03	07	00	00	32
योग	55308	67016	26864	68973	2625	4176	218161	156	35	18	73	0	5	282

* भूपूसै एवं शा.दि. अभ्यर्थियों को उनकी मूल श्रेणी में शामिल किया गया है।